

**भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय**

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-87

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी

***87. श्री अरुण गोविल:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोयला आधारित विद्युत उत्पादन के अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत के उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ-साथ हाईड्रोजन आधारित ईंधन के संबंध में भी अनुसंधान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में शहरों को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और लगातार बढ़ते विद्युत उत्पादन के दृष्टिगत ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी चौबीसों घंटे बिजली की आवश्यकता महसूस की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में दिनांक 05.02.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 87 के संबंध में भाग (क) से (ड) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): देश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जलविद्युत ऊर्जा सहित कुल विद्युत उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है। पिछले पाँच (05) वित्तीय वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का विवरण अनुबंध पर दिया गया है। अनुबंध-1 पर दर्शाई गई सकल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता देश में विद्युत मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप विद्युत उपलब्धता में निरंतर वृद्धि को दर्शाती है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भारत को हरित ऊर्जा और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक हब बनाने के लिए जनवरी 2023 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अलावा एमएनआरई ने हाइड्रोजन उत्पादन, अनुप्रयोग और सुरक्षा से संबंधित विशिष्ट विषयों पर अनुसंधान, नवाचार और विकास के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को तेईस (23) परियोजनाएं अवार्ड की हैं। इसके अतिरिक्त बायोमास रूट के माध्यम से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु में एक प्रयोगशाला-स्तरीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना कमीशन की गई है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) की शुरुआत से अब तक इसमें काफी प्रगति हुई है:

- i. 8,62,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इंसेंटिव अवार्ड किए गए हैं।
- ii. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया (एसईसीआई) ने देश भर में विभिन्न उर्वरक इकाइयों को 7,24,000 एमटीपीए ग्रीन अमोनिया (ग्रीन हाइड्रोजन का एक डेरिवेटिव) के उत्पादन और आपूर्ति के लिए मूल्य निर्धारित किया है। ये निर्धारित किया गया मूल्य दुनिया में सबसे कम हैं, जिनका भारत औसत मूल्य 53.27 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- iii. आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल रिफाइनरियों को 20,000 एमटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए परियोजनाएं दी गई हैं।
- iv. ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के लिए बैंकरिंग और रिफ्यूलिंग सुविधाओं को विकसित करने के लिए, वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी ने बैंकरिंग और रिफ्यूलिंग सुविधा के विकास के लिए एक परियोजना दी गई है।
- v. चार परियोजनाओं को हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स (एचवीआईसी) के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई है, जैसे, जेएचवी इनोवेशन, ओडिशा हाइड्रोजन वैली, पुणे हाइड्रोजन वैली और केरल एचवीआईसी।

- vi. ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने के लिए कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन बंदरगाहों की पहचान की गई है।

इसके अलावा, एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल), आंध्र प्रदेश राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने की प्रक्रिया में है, ताकि ग्रीन केमिकल्स (अमोनिया, मेथनॉल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल/ग्रीन यूरिया) के उत्पादन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सके। केरल में एनटीपीसी कायमकुलम गैस प्लांट में मेथनॉल फायरिंग (नेफ्था के बजाय) के प्रदर्शन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा बीएचईएल को दिया गया है।

(ग) से (ङ) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। वर्तमान में देश की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 513.730 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से अब तक 289.607 गीगावाट की नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत कमी की गंभीर समस्या का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत कमी की स्थिति से विद्युत पर्याप्तता की स्थिति में बदल गया है। आपूर्ति की गई ऊर्जा केवल मामूली अंतर के साथ ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप रही है जो सामान्यतः राज्य स्तर पर पारेषण/वितरण नेटवर्क में विद्यमान बाधाओं के कारण है।

चूँकि, विद्युत एक समवर्ती विषय है, किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं/क्षेत्रों/जिलों/शहरों को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधी कार्य राज्य सरकार/विद्युत युटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। सभी उपभोक्ताओं/क्षेत्रों/जिलों/शहरों को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्रोतों से उपयुक्त मात्रा में विद्युत की व्यवस्था करना संबंधित वितरण लाइसेंसधारकों की जिम्मेदारी है।

केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को सहयोग प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से भी राज्यों के प्रयासों को सुदृढ़ किया है, ताकि सभी घरों तक गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी आबाद किंतु गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण 28 अप्रैल, 2018 तक पूर्ण कर लिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। डीडीयूजीजेवाई तथा इसके पश्चात सौभाग्य के अंतर्गत, सभी राज्यों द्वारा प्रदान गई सूचना के अनुसार, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण कर लिया गया। सौभाग्य के अंतर्गत कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों योजनाएं 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार ने जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से सतत एवं प्रचालन की दृष्टि से सक्षम वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस स्कीम के अंतर्गत वितरण युटिलिटी (निजी क्षेत्र की वितरण युटिलिटी को छोड़कर) को हानि न्यूनीकरण से संबंधित अवसंरचना कार्यों तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हानि न्यूनीकरण अवसंरचना हेतु 1.53 लाख करोड़ रुपये तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों हेतु 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे देश में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता में सुधार होगा।

केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में औसत विद्युत आपूर्ति के घंटे वर्ष 2014 में 12.5 घंटे से बढ़कर वर्ष 2025 में 22.6 घंटे हो गए हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अवधि वर्ष 2014 में 22.1 घंटे से बढ़कर वर्ष 2025 में 23.4 घंटे हो गई है।

पिछले पांच (5) वित्तीय वर्षों (एफवाई) और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के लिए स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का विवरण:

ईंधन		2019-20 (दिनांक 31.03.2020 तक)	2020-21 (दिनांक 31.03.2021 तक)			2021-22 (दिनांक 31.03.2022 तक)		
		क्षमता (मेगावाट)	क्षमता (मेगावाट)	शेयर %	पिछले वर्ष के निमित्त वृद्धि %	क्षमता (मेगावाट)	शेयर %	पिछले वर्ष के निमित्त वृद्धि %
थर्मल	कोयला	1,98,524.50	2,02,674.50	52.8	2.0	2,04,079.50	51.08	0.69
	डीजल	509.71	509.71	0.13	0.0	509.71	0.13	0.00
	लिग्नलाइट	6,610.00	6,620.00	1.73	0.15	6,620.00	1.66	0.00
	प्राकृतिक गैस	24,955.36	24,924.01	6.50	-0.13	24,899.51	6.23	-0.10
कुल थर्मल		2,30,599.57	2,34,728.22	61.20	1.79	2,36,108.72	59.10	0.59
न्यूक्लियर		6,780.00	6,780.00	1.77	0.00	6,780.00	1.70	0.00
कुल (पारंपरिक)		2,37,379.57	2,41,508.22	62.97	1.74	2,42,888.72	60.80	0.57
आरईएस (बड़ी हाइड्रो को छोड़कर)	पवन	37,743.75	39,247.05	10.23	3.98	40,357.58	10.10	2.83
	सौर	35,607.24	41,236.02	10.75	15.81	53,996.54	13.52	30.95
	बायोमास विद्युत/कोजेन.	9,875.31	10,145.92	2.65	2.74	10,205.61	2.55	0.59
	अपशिष्ट से ऊर्जा	345.84	387.59	0.10	12.07	476.75	0.12	23.00
	लघु हाइड्रो (*)	4,683.16	4,786.81	1.25	2.21	4,848.90	1.21	1.30
बड़ी हाइड्रो (पीएसपी सहित) (**)		45,699.22	46,209.22	12.05	1.12	46,722.52	11.70	1.11
कुल [नवीकरणीय]		1,33,954.52	1,42,012.61	37.03	6.02	1,56,607.90	39.20	10.28
कुल योग		3,71,334.08	3,83,520.82	100.00	3.28	3,99,496.61	100.00	4.17

(*):- लघु जलविद्युत से आशय 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले जलविद्युत विद्युतगृहों से है।

(**):- बड़ी जलविद्युत से आशय 25 मेगावाट एवं उससे अधिक क्षमता वाले जलविद्युत विद्युतगृहों से है।

पिछले पांच (5) वित्तीय वर्षों (एफवाई) और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के लिए स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का विवरण:

ईंधन		2022-23 (दिनांक 31.03.2023 तक)			2023-24 (दिनांक 31.03.2024 तक)		
		क्षमता (मेगावाट)	शेयर %	पिछले वर्ष के निमित्त वृद्धि %	क्षमता (मेगावाट)	शेयर %	पिछले वर्ष के निमित्त वृद्धि %
थर्मल	कोयला	2,05,235.50	49.33	0.57	2,10,969.46	47.73	2.79
	डीजल	589.20	0.14	15.60	589.20	0.13	0.00
	लिग्नाइड	6,620.00	1.59	0.00	6,620.00	1.50	0.00
	प्राकृतिक गैस	24,824.21	5.97	-0.30	25,038.21	5.67	0.86
कुल थर्मल		2,37,268.91	57.03	0.49	2,43,216.87	55.03	2.51
न्यूक्लियर		6,780.00	1.63	0.00	8,180.00	1.85	20.65
कुल (पारंपरिक)		2,44,048.91	58.66	0.48	2,51,396.87	56.88	3.01
आरईएस (बड़ी हाइड्रो का छोड़कर)	पवन	42,633.13	10.25	5.64	45,886.51	10.38	7.63
	सौर	66,780.34	16.05	23.68	81,813.60	18.51	22.51
	बायोमास विद्युत/कोजेन.	10,248.01	2.46	0.42	10,355.35	2.34	1.05
	अपशिष्ट से ऊर्जा	554.03	0.13	16.21	585.80	0.13	5.73
	लघु हाइड्रो (*)	4,944.30	1.19	1.97	5,003.25	1.13	1.19
बड़ी हाइड्रो (पीएसपी सहित (**))		46,850.17	11.26	0.27	46,928.17	10.62	0.17
कुल [नवीकरणीय]		1,72,009.98	41.34	9.83	1,90,572.68	43.12	10.79
कुल योग		4,16,058.89	100.00	4.15	4,41,969.55	100.00	6.23

(*):- लघु जलविद्युत से आशय 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले जलविद्युत विद्युतगृहों से है।

(**):- बड़ी जलविद्युत से आशय 25 मेगावाट एवं उससे अधिक क्षमता वाले जलविद्युत विद्युतगृहों से है।

पिछले पांच (5) वित्तीय वर्षों (एफवाई) और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के लिए स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का विवरण:

ईंधन		2024-25 (दिनांक 31.03.2025 तक)			2025-26 (दिनांक 31.12.2025 तक)		
		क्षमता (मेगावाट)	शेयर %	पिछले वर्ष के निमित्त वृद्धि %	क्षमता (मेगावाट)	शेयर %	दिनांक 31.03.2025 के निमित्त वृद्धि %
थर्मल	कोयला	2,15,193.00	45.28	2.00	2,19,610.00	42.75	2.05
	डीजल	589.20	0.12	0.00	589.20	0.11	0.00
	लिंगनलाइट	6,620.00	1.39	0.00	6,620.00	1.29	0.00
	प्राकृतिक गैस	24,533.26	5.16	-2.02	20,122.42	3.92	-17.98
कुल थर्मल		2,46,935.46	51.96	1.53	2,46,941.62	48.07	0.00
न्यूक्लियर		8,180.00	1.72	0.00	8,780.00	1.71	7.33
कुल (पारंपरिक)		2,55,115.46	53.68	1.48	2,55,721.62	49.78	0.24
आरईएस (बड़ी हाइड्रो का छोड़कर)	पवन	50,037.82	10.53	9.05	54,510.93	10.61	8.94
	सौर	1,05,646.49	22.23	29.13	1,35,809.94	26.44	28.55
	बायोमास विद्युत/कोजेन.	10,743.11	2.26	3.74	10,757.31	2.09	0.13
	अपशिष्ट से ऊर्जा	840.21	0.18	43.43	856.62	0.17	1.95
	लघु हाइड्रो (*)	5,100.55	1.07	1.94	5,158.61	1.00	1.14
बड़ी हाइड्रो (पीएसपी सहित (**))		47,728.16	10.04	1.70	50,914.66	9.91	6.68
कुल [नवीकरणीय]		2,20,096.34	46.32	15.49	2,58,008.07	50.22	17.23
कुल योग		4,75,211.80	100.00	7.52	5,13,729.69	100.00	8.11

(*):- लघु जलविद्युत से आशय 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले जलविद्युत विद्युतगृहों से है।

(**):- बड़ी जलविद्युत से आशय 25 मेगावाट एवं उससे अधिक क्षमता वाले जलविद्युत विद्युतगृहों से है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-921
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

कार्बन बाजार की प्रभावशीलता

921. श्री मनीष जायसवाल:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री प्रवीण पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्सर्जन में कमी और जलवायु शमन प्रयासों को सुगम बनाने के लिए शुरू किए गए भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) के ढांचे की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) कार्बन रजिस्ट्री, ट्रेडिंग तंत्र और क्षेत्र-वार कवरेज जैसे संस्थागत प्रबन्धों को स्थापित करने में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्बन बाजार में भागीदारी के माध्यम से और राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उद्योगों और अन्य हितधारकों के लिए परिकल्पित भूमिका क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उत्सर्जन में कमी लाने और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश की सुविधा प्रदान करने में कार्बन बाजार की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के अंतर्गत भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) दो तंत्रों के माध्यम से संचालित होता है अर्थात् अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र। अनुपालन तंत्र के अंतर्गत, बाध्य संस्थाओं के रूप में अधिसूचित उत्सर्जन-गहन उद्योगों को निर्धारित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सघनता लक्ष्यों को पूरा करना होता है और जो संस्थाएं अपने लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि प्राप्त करती हैं, वे कार्बन

क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए पात्र होती हैं। ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत, गैर-बाध्य संस्थाएं कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी किए जाने के उद्देश्य से अनुमोदित शमन गतिविधियों को स्वेच्छा से पंजीकृत कर सकती हैं।

(ख) : भारतीय कार्बन बाज़ार (आईसीएम) के संचालन हेतु आवश्यक संस्थागत ढाँचा पहले से ही मौजूद है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ़ इंडिया लिमिटेड रजिस्ट्री के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग आईसीएम के अंतर्गत होने वाली व्यापारिक गतिविधियों के लिए नियामक के रूप में कार्य करता है।

आईसीएम के अनुपालन तंत्र के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने सात ऊर्जा-गहन क्षेत्रों एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-एल्कली, लुगदी और कागज, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाईनरी तथा वस्त्र के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सघनता (जीईआई) में कमी के लक्ष्य अधिसूचित किए हैं। ये लक्ष्य कुल 490 बाध्यकारी संस्थाओं को कवर करते हैं, जिनका राज्य-वार विस्तृत विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा नौ अलग-अलग पद्धतियां (सूची-**अनुबंध-II**) विकसित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय मापन, रिपोर्टिंग एवं उत्सर्जन में कमी के सत्यापन (एमआरवी) को सुनिश्चित करने हेतु कार्बन सत्यापन एजेंसियों के सत्यापन की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

(ग) : ऊपर भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किए अनुसार, उद्योगों एवं अन्य हितधारकों द्वारा दक्षता में सुधार, कम-कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा अधिसूचित उत्सर्जन-सघनता लक्ष्यों को पूरा करते हुए भारतीय कार्बन बाज़ार (आईसीएम) के अंतर्गत उत्सर्जन में कमी लाने की प्रक्रिया हेतु विचार किया गया है।

(घ) एवं (ङ) : भारतीय कार्बन बाज़ार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा भारतीय कार्बन बाज़ार की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु एक सुव्यवस्थित निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) फ्रेमवर्क तथा उत्सर्जन सघनता लक्ष्यों की आवधिक समीक्षा पहले से ही परिकल्पित की जा चुकी है।

राज्य	बाध्यकारी संस्थाओं की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश	30
असम	8
बिहार	4
छत्तीसगढ़	11
दादरा एवं नगर	17
गुजरात	71
हरियाणा	9
हिमाचल प्रदेश	14
जम्मू एवं कश्मीर	1
झारखंड	7
कर्नाटक	22
केरल	3
मध्य प्रदेश	29
महाराष्ट्र	29
मेघालय	8
ओड़िशा	18
पुदुचेरी	2
पंजाब	26
राजस्थान	64
तमिलनाडु	41
तेलंगाना	21
उत्तर प्रदेश	34
उत्तराखंड	6
पश्चिम बंगाल	15
कुल	490

- i. बीएम ईएन 01.001: नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड कनेक्टेड विद्युत उत्पादन
- ii. बीएम ईएन 01.002: जल के विद्युत अपघटन (इलेक्ट्रोलिसिस) द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन
- iii. बीएम आईएन 02.001: औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए ऊर्जा दक्षता एवं ईंधन परिवर्तन उपाय
- iv. बीएम आईएन 02.002: बायोगैस से प्राप्त मीथेन का उपयोग कर हाइड्रोजन उत्पादन
- v. बीएम डब्ल्यूए 03.001: लैंडफिल से मीथेन की पुनर्प्राप्ति
- vi. बीएम डब्ल्यूए 03.002: लैंडफिल गैस का फ्लेरिंग अथवा उपयोग
- vii. बीएम एजी 04.002: घरेलू स्तर एवं छोटे कृषि फार्मों में पशुधन एवं गोबर प्रबंधन से मीथेन की पुनर्प्राप्ति
- viii. बीएम एफआर 05.001: क्षतिग्रस्त मैंग्रोव आवासों में वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण
- ix. बीएम एफआर 05.002: वेटलैंड को छोड़कर अन्य भूमियों में वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-927
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत वितरण कंपनियों का वित्तीय नुकसान

927. डॉ. आनन्द कुमार गोंडः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को उनके वित्तीय नुकसान को कम करने के संबंध में नोटिस जारी किए हैं, जिसमें विफल रहने पर उन्हें निजीकरण का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इन डिस्कॉम के वित्तीय घाटे की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय इन राज्यों में डिस्कॉम को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रतिबंधित करने की योजना बना रहा है, यदि वे छब्बीस प्रतिशत इक्विटी बेचने, पूर्ण प्रबंधन नियंत्रण स्थानांतरित करने, या 'ए' रेटिंग के साथ स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने जैसे उपाय नहीं अपनाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन सुधारों के परिणामस्वरूप बिजली शुल्कों में किसी भी संभावित वृद्धि या सेवा की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में किसानों और कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बिजली अधिक महंगी न हो और सेवाएं बाधित न हों?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती विषय है और विद्युत वितरण वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है जो अपने संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण और संबंधित विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) के नियमों के तहत कार्य करती हैं। इसलिए, राज्य डिस्कॉम का निजीकरण केंद्र सरकार के दायरे में नहीं आता है।

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत, वितरण यूटिलिटी का एक दक्ष, समन्वित और किफायती वितरण प्रणाली बनाए रखने का कर्तव्य है। इसके अलावा, इस खंड में किसी भी अक्षमता का पूरे मूल्य श्रृंखला पर एक कैस्केडिंग प्रभाव पड़ता है, उनके संचालन को बाधित करता है और वित्तीय व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय विद्युत खपत का बहुत बड़ा हिस्सा (48%) है। हालांकि, वित्तीय संकट भी इन राज्यों में केंद्रित है और यह वितरण यूटिलिटी की कुल संचित हानियों का 69% और कुल बकाया ऋण का 66% है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इन राज्य वितरण यूटिलिटी की वित्तीय हानियों का विवरण **अनुबंध-1** पर संलग्न है।

सोलहवें वित्त आयोग ने उल्लेख किया है कि सार्वजनिक संस्थाओं के रूप में, डिस्कॉम में तकनीकी हानियों, चोरी, कम बिलिंग और कम संग्रह के माध्यम से रिसाव को रोकने में उच्च स्तर की दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन की कमी है। आयोग ने सिफारिश की है कि समस्या का पहला सबसे अच्छा समाधान डिस्कॉम का निजीकरण है। वैकल्पिक रूप से, यदि सार्वजनिक स्वामित्व ढांचे के भीतर समाधान मांगा जाता है, तो गुजरात और हरियाणा राज्य दो उदाहरण हैं जो अनुकरणीय हैं।

(घ) : भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से वितरण यूटिलिटी को उनकी वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने में सहायता कर रही है। कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- i. वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से आरडीएसएस शुरू की गई है। स्कीम के तहत धनराशि जारी करना राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा अपने निष्पादन में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने से जुड़ा है।
- ii. राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.5% की अतिरिक्त उधार लेने की सुविधा, जो विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने की शर्त पर आधारित है।
- iii. राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित शर्तों के निमित्त विद्युत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन पर निर्भर हैं।
- iv. ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागत शामिल हो सके।
- v. उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों और वितरण यूटिलिटी के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ वित्त वर्ष 21 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 15.04% हो गई हैं। एटीएंडसी हानियों में कमी से यूटिलिटी की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है, जिससे वे प्रणाली को बेहतर ढंग से बनाए रख सकेंगे और आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत खरीद सकेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

वर्ष 2024-25		
राज्य	लाभ/(हानि) कर पश्चात (पीएटी) (करोड़ रुपये)	संचित अधिशेष/हानि (करोड़ रुपये)
आंध्र प्रदेश	190	(29,420)
मध्य प्रदेश	(2,561)	(71,394)
महाराष्ट्र	1,292	(35,671)
राजस्थान	1,262	(90,303)
तमिलनाडु	2,073	(1,19,153)
उत्तर प्रदेश	(10,796)	(1,00,858)
राष्ट्रीय	2,701	(6,47,210)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-941
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना

†941. श्री ससिकांत सेंथिल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अधिसूचित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्बन बाजार को संचालित करने और उक्त योजना में उद्योगों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक प्रदान की गई वित्तीय, नियामक अथवा संस्थागत सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारतीय अर्थव्यवस्था से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, समाप्त करने अथवा उससे बचाव करने के उद्देश्य से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) को अधिसूचित किया गया है, जिसमें ऐसे उत्सर्जनों का मूल्य निर्धारण कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों (सीसीसी) के व्यापार के माध्यम से किया जाता है।

(ख) : भारत सरकार ने भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) को क्रियान्वित करने हेतु कई कदम उठाए हैं। इनमें आवश्यक संस्थागत ढांचे की स्थापना, अनुपालन तंत्र के अंतर्गत सात ऊर्जा-गहन क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (जीईआई) लक्ष्यों की अधिसूचना शामिल है। इसके अतिरिक्त, ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत स्वीकृत कार्यप्रणालियाँ, एक सुदृढ़ निगरानी, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन ढांचा तथा कार्बन सत्यापन एजेंसियों के प्रत्यायन की प्रक्रियाएँ भी लागू की गई हैं।

आईसीएम के अंतर्गत उद्योगों को बाध्यकारी संस्थाओं के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे दक्षता में सुधार करके तथा निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर उत्सर्जन में कमी करें। जो इकाइयाँ अपने अधिसूचित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (जीईआई) लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि प्राप्त करती हैं, वे सीसीसी जारी किए जाने के लिए पात्र होंगी, जिनका विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से व्यापार किया जा सकेगा। गैर- बाध्यकारी संस्थाएं, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक भी शामिल हैं, स्वेच्छा से स्वीकृत शमन गतिविधियों का पंजीकरण कर सकती हैं ताकि उन्हें सीसीसी जारी किए जा सकें।

(ग) : सीसीटीएस के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था, इस योजना के अंतर्गत इकाइयों से वसूले गए शुल्क एवं प्रभारों तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के स्वयं के संसाधनों से की जाएगी। भारतीय कार्बन बाज़ार के अंतर्गत व्यापार गतिविधियों से संबंधित विनियामक सहायता, जिसमें कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार से जुड़े विषय भी शामिल हैं, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रदान की जाती है।

योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था में एक राष्ट्रीय संचालन समिति शामिल है, जिसकी सह-अध्यक्षता विद्युत मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिवों द्वारा की जाती है। इसके अंतर्गत ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रजिस्ट्री के रूप में कार्य करेगा तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रशासक की भूमिका निभा रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-957
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

बीबीएमबी द्वारा तैयार किया गया गाद निकासी और तलछट प्रबंधन प्रस्ताव

†957. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को तैयार किए गए गाद निकालने और तलछट प्रबंधन प्रस्ताव का इसके उद्देश्यों, अनुमानित लागत, समय-सीमा और कवर किए गए जलाशयों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त गाद निकालने/ड्रेजिंग प्रस्ताव को परामर्श या अनुमोदन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को किस तारीख को भेजा गया था और क्या तब से कोई अनुस्मारक या अनुवर्ती पत्राचार जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेत, गाद और अन्य तलछट सहित निकाली गई सामग्री के उपयोग, निपटान या व्यवसायिक उपयोग के लिए प्रस्तावित योजना क्या है और क्या इससे किसी राजस्व या पारिस्थितिक लाभ की परिकल्पना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीबीएमबी इस परियोजना को लागत प्रभावी, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने के लिए किसी विदेशी एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग या उन्नत तकनीकी जानकारी को शामिल करने का प्रस्ताव करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर स्थित लुहणू ग्राउंड में भाखड़ा जलाशय की गाद निकासी हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य तलछट संचय तथा जलाशय की भंडारण क्षमता में हो रही कमी की समस्या का समाधान करने, संधारणीय जलाशय प्रबंधन को बढ़ावा देने तथा निकाली गई गाद के उपयोगी दोहन की संभावनाओं का अन्वेषण करना है। यह

परियोजना मंडी भरारी पुल से लुहणू ग्राउंड तक के इलाके को कवर करती है, जिसे सुगम पहुंच तथा अनुकूल तलछट विशेषताओं के कारण गाद निकासी के लिए उपयुक्त पाया गया है। इस प्रस्ताव में वर्ष के 8-9 महीनों की अवधि के दौरान, जब जलाशय का जल स्तर कम हो जाता है और क्षेत्र उजागर हो जाता है, 2 मीटर की गहराई तक गाद निकासी की परिकल्पना की गई है। यह प्रस्ताव राजस्व मॉडल पर आधारित है, जिसमें बीबीएमबी पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा।

(ख) : बीबीएमबी द्वारा गाद निकासी का प्रस्ताव दिनांक 29.10.2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया था। दिनांक 23.12.2025 को, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीबीएमबी को सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भंडारण का निवारण) नियम, 2015 के नियम 33 के तहत रॉयल्टी के भुगतान के बाद जलाशयों की गाद निकासी और उत्पन्न खनिजों को उठाने/परिवहन की अनुमति है। इसके पश्चात्, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 31.12.2025 को भाखड़ा जलाशय की गाद निकासी के दौरान निकाले जाने वाले खनिजों के लिए रॉयल्टी, उपकर और करों की सूचना बीबीएमबी को दी। तदनुसार, बीबीएमबी ने दिनांक 02.01.2026 को गाद के उत्खनन और नीलामी हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रकाशित किया है।

(ग) : रेत, सिल्ट और मिट्टी से युक्त निकाली गई गाद सामग्री का वाणिज्यिक उपयोग सफल बोलीदाता द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। किसी भी अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरूप निर्दिष्ट निस्तारण स्थलों पर किया जाएगा। इस राजस्व मॉडल के तहत, सफल बोलीदाता राज्य सरकार को प्रयोज्य रॉयल्टी, उपकर और करों का भुगतान करेगा, जिससे राजस्व सृजन के साथ-साथ जलाशय की भंडारण क्षमता में सुधार तथा सतत गाद प्रबंधन के माध्यम से लाभ प्राप्त होंगे।

(घ) : बीबीएमबी को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-2 और चरण-3, जिसे विश्व बैंक से वित्त पोषण और तकनीकी सहायता के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। इस परियोजना का उद्देश्य भाखड़ा और पोंग जलाशय क्षेत्रों के आस-पास तलछट प्रबंधन, तलछट नियंत्रण रणनीतियों का निर्माण, तलछट-उत्पादन करने वाले हॉटस्पॉट और भूस्खलन-संभावित संवेदनशील क्षेत्रों का उपचार करना और जलाशयों की सक्रिय भंडारण क्षमता को बहाल करना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-959
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कृषि फीडर

†959. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

श्री तनुज पुनिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत मूल रूप से मूल्यांकित, स्वीकृत और वास्तव में पृथक किए गए कृषि फीडरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने गैर-कृषि ग्रामीण उपभोक्ताओं को आपूर्ति के घंटों पर अपूर्ण फीडर पृथक्करण के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां कार्य का आवंटन निर्धारित समय-सीमा से 12 और 24 महीने अधिक हो गया है; और

(घ) ऐसे उदाहरणों की संख्या कितनी है जहां समझौतों और राज्य के योगदान जैसी अनिवार्य पूर्व-शर्तों को पूरा करने से पहले ही धन जारी कर दिया गया था?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में 33,453 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 43,033 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डीडीयूजीजेवाई की शुरुआत की। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण तथा संवर्धन, कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण और देश भर के गांवों का विद्युतीकरण करना था।

डीडीयूजीजेवाई स्कीम के तहत चिन्हित और पृथक किए गए फीडरों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य	संस्वीकृत	उपलब्धि
1	बिहार	698	698
2	छत्तीसगढ़	356	205

3	गुजरात	45	0
4	हरियाणा	35	35
5	हिमाचल प्रदेश	5	5
6	जम्मू एवं कश्मीर	151	34
7	झारखंड	409	409
8	कर्नाटक	927	927
9	मध्य प्रदेश	1284	873
10	महाराष्ट्र	1077	583
11	ओडिशा	89	89
12	पंजाब	76	76
13	राजस्थान	2131	1458
14	तमिलनाडु	29	29
15	उत्तर प्रदेश	1891	1891
16	उत्तराखंड	44	44
17	पश्चिम बंगाल	585	477
कुल		9832	7833

स्रोत: नोडल एजेंसी आरईसी लिमिटेड

(ख) : डीडीयूजीजेवाई स्कीम का एक व्यापक प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया, जिसमें सभी राज्यों और अधिकांश संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। अध्ययन से पता चला है कि डीडीयूजीजेवाई के बाद गांवों में आपूर्ति घंटों में लगभग 39% सुधार हुआ है। इसके अलावा, इस सर्वेक्षण के अंतर्गत कवर किए गए 100% गांवों और उपभोक्ताओं ने आपूर्ति घंटों में सुधार की सूचना दी है।

(ग) : डीडीयूजीजेवाई के तहत, 33 राज्यों में कुल 673 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 154 परियोजनाओं में निर्धारित समय सीमा से 12 महीने से अधिक और 24 परियोजनाओं में 24 महीने से अधिक समय तक कार्यों के अवाई में देरी हुई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य	विलंबित परियोजनाएं >12 माह	विलंबित परियोजनाएं > 24 माह
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	1
2	असम	0	8
3	बिहार	2	0
4	छत्तीसगढ़	2	0
5	गोवा	2	0
6	हरियाणा	7	0
7	हिमाचल प्रदेश	10	1
8	जम्मू और कश्मीर	0	13
9	झारखंड	24	0
10	कर्नाटक	23	0

11	मध्य प्रदेश	26	1
12	महाराष्ट्र	27	0
13	मिजोरम	1	0
14	पंजाब	20	0
15	तेलंगाना	1	0
16	उत्तर प्रदेश	9	0
महा योग		154	24

स्रोत: नोडल एजेंसी आरईसी लिमिटेड

(घ) : भारत सरकार की प्रमुख स्कीम, डीडीयूजीजेवाई को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 के अंत में शुरू किया गया था। उसी वर्ष इस स्कीम के लिए बजट भी आवंटित किया गया था। इस स्कीम को ससमय शुरू करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि उन राज्यों की धनराशि जारी करने की मांगों पर विचार किया जाए, जिनकी परियोजनाओं की डीपीआर इस आश्वासन के साथ तैयार थी कि निर्धारित समय के भीतर और अगली किश्त जारी करने से पहले लक्ष्यों और शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

इसलिए, एक अपवाद के रूप में, सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से 6 राज्यों नामतः गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की विद्युत यूटिलिटी को 541 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की गई थी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-961

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

सीमापार के देशों के साथ विद्युत व्यापार

†961. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्रीमती लवली आनंद:
श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य सहित विशेषकर पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कौन-कौन सी पारेषण लाइनें और उपकेन्द्र चालू किए गए हैं;

(ख) अंतर-राज्यीय बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा रहा है;

(ग) क्या राइट-ऑफ-वे या स्वीकृति में विलंब के कारण परियोजना की समय-सीमा प्रभावित हुई है;

(घ) यदि हां, तो विशेषकर राजस्थान राज्य को शामिल करते हुए देश में राइट-ऑफ-वे स्वीकृति में विलंब से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ङ) पड़ोसी देशों के साथ सीमापार विद्युत व्यापार में कितनी प्रगति हुई है; और

(च) राष्ट्रीय पारेषण ग्रिड को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पिछले 5 वर्षों [वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2021-22 से दिसंबर 2025 तक] के दौरान देश में 220 केवी एवं उससे अधिक वोल्टेज स्तर की पारेषण प्रणाली नेटवर्क में कुल 57,630 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनों तथा 3,81,523 मेगा वोल्ट-एम्पियर (एमवीए) की रूपांतरण क्षमता की कमीशनिंग की गई है। राजस्थान राज्य में पिछले 5 वर्षों के दौरान 220 केवी एवं उससे अधिक वोल्टेज स्तर की पारेषण प्रणाली नेटवर्क के अंतर्गत 6,433 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनों तथा 19,145 एमवीए की रूपांतरण क्षमता की कमीशनिंग की गई है। तथापि, राजस्थान के पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पारेषण परियोजनाओं के विवरण का रखरखाव केंद्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

(ख) : भारत की राष्ट्रीय पारेषण अवसंरचना को इस प्रकार विकसित किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच विद्युत का विश्वसनीय प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में देश में विभिन्न क्षेत्रों के बीच समग्र विद्युत अंतरण को प्रभावित करने वाली कोई राष्ट्रीय स्तर की पारेषण बाधा/अवरोध विद्यमान नहीं है। विद्युत अधिशेष क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों तक विद्युत के अंतरण को सुगम बनाने के लिए एक सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता का विस्तार विद्युत उत्पादन एवं विद्युत मांग में वृद्धि के अनुरूप निरंतर आधार पर किया जा रहा है। अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को दिसंबर 2025 में 120 गीगावाट (जीडबल्यू) से बढ़ाकर वर्ष 2027 तक 143 गीगावाट तथा आगे वर्ष 2032 तक 168 गीगावाट किए जाने की योजना है।

(ग) एवं (घ) : राइट ऑफ वे (आरओडबल्यू) से संबंधित मुद्दों के कारण हुई देरी ने परियोजनाओं की समय-सीमा को प्रभावित किया है। देश में क्रियान्वयनाधीन अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) की उन परियोजनाओं का विवरण, जिनकी अनुसूचित कमीशनिंग तिथि (एससीओडी) मार्च 2026 तक है और जो आरओडबल्यू संबंधी मुद्दों अथवा स्वीकृतियों की समस्याओं का सामना कर रही हैं, **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ङ) : पड़ोसी देशों के साथ विद्युत का आयात/निर्यात भारतीय विद्युत एक्सचेंज(जों) के माध्यम से तथा द्विपक्षीय माध्यम से किया जाता है। पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों के साथ सीमा-पार विद्युत व्यापार के अंतर्गत आयात/निर्यात की गई विद्युत ऊर्जा के संदर्भ में हुई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	भारत द्वारा आयात (एमयू)				भारत द्वारा निर्यात (एमयू)			
	भूटान	बांग्लादेश	नेपाल	म्यांमार	भूटान	बांग्लादेश	नेपाल	म्यांमार
2025-26*	7,796	0	3,252	0	580	6,342	662	6.41
2024-25	6,281	0	2,150	0	1,764	8,084	1,686	9.08
2023-24	5,730	0	1,725	0	1,868	8,394	1,850	8.78
2022-23	7,253	0	1,385	0	522	8,581	1,552	9.80
2021-22	7,995	0	179	0	322	7,327	2,127	8.81

*(दिसंबर 2025 तक) एमयू- मिलियन यूनिट

(च) : विद्युत मांग में हो रही वृद्धि के अनुरूप पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 में राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) (खंड-II: पारेषण) प्रकाशित की गई है। यह योजना वर्ष 2023 से 2032 की अवधि के लिए पारेषण प्रणाली की आवश्यकताओं को रेखांकित करती है, जो अनुमानित विद्युत मांग को पूरा करने हेतु अपेक्षित विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि के अनुरूप है।

पारेषण योजना के अंतर्गत वर्ष 2032 तक अनुमानित 388 गीगावाट (जीडबल्यू) की चरम विद्युत मांग को पूरा करने के लिए केंद्रीय एवं राज्य पारेषण प्रणालियों के विस्तार का प्रावधान किया गया है। एनईपी (खंड-II: पारेषण) के अनुसार, देश में 220 केवी एवं उससे अधिक वोल्टेज स्तर की पारेषण नेटवर्क लंबाई को वर्ष 2032 तक 6.48 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) तक विस्तारित किए जाने तथा रूपांतरण क्षमता को 2,345 गीगा वोल्ट-एम्पियर (जीवीए) तक बढ़ाए जाने की योजना है।

देश में (राजस्थान सहित) क्रियान्वयनाधीन मार्च 2026 तक एससीओडी वाली आरओडबल्यू संबंधी समस्याओं के कारण तथा समय-सीमा में विलंब का सामना कर रही आईएसटीएस परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं.	पारेषण लाइन (टीएल)	एससीओडी	संभावित एससीओडी
1	अनंतपुरम पीएस - कड्डपाह 400 केवी (क्वाड मूस) डी/सी लाइन	सितंबर-25	मार्च-26
2	भाडला-III पीएस - सीकर-II एस/एस 765 केवी डी/सी लाइन	मार्च-25	फरवरी-26
3	ब्यावर - दौसा 765 केवी डी/सीलाइन	अप्रैल-25	मार्च-26
4	कोप्पल-II पीएस - नरेंद्र (नया) 765 केवी डी/सी लाइन	दिसंबर-25	जून-26
5	गडग-II पीएस - कोप्पल-II पीएस 400 केवी (क्वाड मूस) डी/सी लाइन	दिसंबर-25	जून-26
6	कोप्पल-II पीएस - रायचूर 765 केवी डी/सी लाइन	दिसंबर-25	जून-26
7	बीकानेर-III - नीमराना-II 765 केवी डी/सी लाइन	दिसंबर-25	जून-26
8	नीमराना-II - बरेली (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन	दिसंबर-25	जून-26
9	बीदर पीएस - महेश्वरम (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन	फरवरी-26	जून-26
10	सीकर-II - नरेला 765 केवी डी/सी लाइन	अगस्त-25	जुलाई-26
11	सीकर-II - खेतड़ी 765 केवी डी/सी लाइन	अगस्त-25	जुलाई-26
12	फतेहगढ़-3 - ब्यावर 765 केवी डी/सी लाइन	मार्च-25	मार्च-26
13	अजमेर - चित्तौड़गढ़ 765 केवी डी/सी की दोनों सर्किटों का ब्यावर पर एल आई एल ओ	मार्च-25	मार्च-26
14	नीमराना-II - कोटपुतली 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड)	दिसंबर-25	दिसंबर-26
15	गुरुग्राम (पीजी) - सोहना रोड (जीपीटीएल) 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड) के दोनों सीकेटीएस का नीमराना-II एस/एस पर एल आई एल ओ	दिसंबर-25	दिसंबर-26
16	नरेंद्र नया (जीआईएस) - पुणे (जीआईएस) 765 केवी डी/सीलाइन	जुलाई-24	जून-26
17	केपीएस-2 (जीआईएस) - हलवद 765 केवी डी/सी लाइन	दिसंबर-25	जून-26
18	लाकड़िया - अहमदाबाद 765 केवी डी/सी लाइन का हलवद पर एल आई एल ओ	दिसंबर-25	जून-26
19	बीकानेर-III - नीमराना-II 765 केवी डी/सी लाइन (द्वितीय)	दिसंबर-25	अगस्त-26
20	गडग पूर्लिंग स्टेशन - कोप्पल पीएस 400 केवी डी/सी लाइन	मई-24	मार्च-26
21	धुले पीएस - धुले (बीडीटीसीएल) 400 केवी डी/सी लाइन	फरवरी-26	जून-26
22	पचोरा पीएस - उज्जैन (एमपीपीटीसीएल) 400 केवी डी/सी लाइन	फरवरी-26	मार्च-26
23	खंडूखाल (श्रीनगर) - रामपुरा (काशीपुर) 400 केवी डी/सी लाइन	सितंबर-24	मई-26
24	फतेहगढ़-3 - भाडला-3 400 केवी डी/सी लाइन	फरवरी-25	जून-26
25	सोलापुर पीएस - सोलापुर (पीजी) 400 केवी डी/सी लाइन	मार्च-26	जून-26

टिप्पणी:

एल आई एल ओ - लाइन-इन-लाइन-आउट

डी/सी- डबल सर्किट

एस/एस-सब-स्टेशन

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 966
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

बिजली की मांग

- †966. श्री विजय कुमार दूबे;
श्री बलभद्र माझी;
श्री देवेश शाक्य;
डॉ. भोला सिंह;
श्री अनूप मंजय धोत्रे;
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी;
श्री बिभु प्रसाद तराई;
श्री काली चरण सिंह;
श्री गोडम नागेश;
श्री अभिमन्यु सेठी;
श्री नव चरण माझी;
श्री दिनेशभाई मकवाणा;
श्रीमती लवली आनंद;
श्री महेश कश्यप;

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में बिजली की कितनी अधिकतम मांग दर्ज की गई है और विशेषकर उत्तर प्रदेश में एटा-कासगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा में नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और तेलंगाना में इस मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्पादन क्षमता और आरक्षित मार्जिन संबंधी स्थिति क्या है;

(ख) उच्च मांग अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की कमी और अनिर्धारित विद्युत कटौती को नियंत्रित करने और उसका प्रबंधन करने के लिए राज्य-वार क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता को सुदृढ़ करने और पर्याप्त आरक्षित क्षमता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या किसी राज्य, विशेषकर उत्तर प्रदेश में बार-बार आपूर्ति में अंतर या लोड शेडिंग की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एटा-कासगंज क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) ग्रिड की स्थिरता और आरक्षित मार्जिन को सुदृढ़ करने तथा ब्लैकआउट को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(च) राज्यों के साथ सही वास्तविक समय पर मांग पूर्वानुमान और बेहतर समन्वय के लिए क्या तकनीकी और प्रशासनिक सुधार किए गए हैं;

(छ) आज की स्थिति के अनुसार झारखंड के चतरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कितने गांवों को अभी तक बिजली कनेक्शन प्राप्त नहीं हुए हैं और उनके विद्युतीकरण के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ज) एटी एंड सी हानि में कमी लाने पर आरडीएसएस सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। वर्तमान में देश की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 513.730 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से अब तक 289.607 गीगावाट नई उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी की गंभीर समस्या का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से निकलकर विद्युत पर्याप्तता वाला देश बन गया है।

देश ने गत वर्ष 250 गीगावाट की अब तक की सर्वाधिक उच्चतम मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) के दौरान ऊर्जा एवं उच्चतम मांग के संदर्भ में देश की अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है। 'आपूर्ति की गई ऊर्जा' और 'ऊर्जा आवश्यकता' के बीच का अंतर वित्त वर्ष 2022-23 में 0.5% से घटकर वर्तमान वर्ष में 'शून्य' हो गया है। इसी प्रकार, पूरी न हुई उच्चतम मांग वर्ष 2022-23 में 4.0% से घटकर वर्तमान वर्ष में लगभग 'शून्य' रह गई है।

उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एवं ओडिशा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) की विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि 'आपूर्ति की गई ऊर्जा' 'ऊर्जा आवश्यकता' के अनुरूप रही है जिसमें केवल मामूली अंतर है जो आम तौर पर राज्य के पारेषण/ वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है। अतः विद्युत की कमी का अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

2. विद्युत समवर्ती विषय होने के कारण, विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी की जिम्मेदारी है। अतः उपभोक्ताओं को 24x7 विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराना संबंधित वितरण यूटिलिटी का दायित्व है। केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से विद्युत संयंत्र संस्थापित कर तथा विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

उच्च मांग की अवधि के दौरान देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) जलविद्युत आधारित उत्पादन को इस प्रकार निर्धारित किया जा रहा है कि उच्च मांग अवधि की मांग को पूरा करने के लिए जल का संरक्षण किया जा सके।
- (ii) उच्च मांग की अवधि के दौरान उत्पादन यूनिटों के नियोजित अनुरक्षण को न्यूनतम किया गया है।
- (iii) ईंधन की कमी से बचने के लिए सभी तापविद्युत संयंत्रों को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
- (iv) उच्च विद्युत मांग की अवधि में एनटीपीसी सहित अन्य उत्पादकों के गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को शिड्यूल किया गया है।
- (v) सभी जेनको, जिनमें आईपीपी तथा केंद्रीय उत्पादन स्टेशन शामिल हैं, को नियोजित अनुरक्षण या मजबूरन कटौती की अवधि को छोड़कर दैनिक आधार पर पूर्ण उपलब्धता बनाए रखने हेतु परामर्श दिया गया है।
- (vi) विद्युत अधिशेष क्षेत्रों से विद्युत अभाव वाले क्षेत्रों तक विद्युत अंतरण की सुगमता के लिए एक सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की गई है। विद्युत उत्पादन एवं मांग में वृद्धि के अनुरूप राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।
- (vii) निर्माणाधीन उत्पादन परियोजनाओं की निरंतर निगरानी की जा रही है ताकि अपेक्षित क्षमता का समय पर संवर्धन सुनिश्चित हो सके।
- (viii) विद्युत बाजार में सुधार करते हुए पावर एक्सचेंजों में रीयल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) तथा हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी-डीएएम) जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम द्वारा अल्पकालिक विद्युत की खरीद के लिए दीप पोर्टल (किफायती विद्युत मूल्य की खोज) के माध्यम से ई-बिडिंग एवं ई-रिवर्स नीलामी की व्यवस्था की गई है।

3. राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त रिजर्व क्षमता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

I. उत्पादन एवं भंडारण योजना:

- (i) राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 874 गीगावाट होने की संभावना है। उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम मांग से अधिक सुनिश्चित करने के लिए, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपने “संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ (आरएपी)” तैयार की हैं, जो गतिशील 10-वर्षीय रोलिंग योजनाएँ हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत खरीद योजना भी शामिल है।
- (ii) सभी राज्यों को उनकी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी प्रकार के उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमताओं के सृजन/अनुबंध की प्रक्रिया आरंभ करने की सलाह दी गई है।
- (iii) विद्युत उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की है:

क. वर्ष 2034-35 तक अनुमानित तापविद्युत (कोयला एवं लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट आँकी गई है, जबकि दिनांक 31.03.2023 तक संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने न्यूनतम 97,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला एवं लिग्नाइट आधारित तापविद्युत क्षमता संस्थापित करने की परिकल्पना की है।

इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु कई पहलें पहले ही की जा चुकी हैं। अप्रैल 2023 से दिनांक 20.01.2026 तक लगभग 17,360 मेगावाट तापविद्युत क्षमता की कमीशनिंग की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में 39,545 मेगावाट तापविद्युत क्षमता (जिसमें 4,845 मेगावाट संकटग्रस्त तापविद्युत परियोजनाएँ शामिल हैं) निर्माणाधीन है। 22,920 मेगावाट की क्षमता के लिए कान्ट्रैक्ट अनुबंध प्रदान किए जा चुके हैं और इसका निर्माण शेष है। इसके अलावा, देश में 24,020 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो योजना के विभिन्न चरणों में है।

ख. 12,973.5 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 4,274 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएँ योजना के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

ग. 6,600 मेगावाट की न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट की न्यूक्लियर क्षमता योजना एवं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

घ. नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अंतर्गत 1,57,800 मेगावाट (जिसमें 67,280 मेगावाट सौर ऊर्जा, 6,500 मेगावाट पवन ऊर्जा तथा 60,040 मेगावाट हाइड्रिड ऊर्जा शामिल है) निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, 48,720 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता (जिसमें 35,440 मेगावाट सौर ऊर्जा तथा 11,480 मेगावाट हाइड्रिड ऊर्जा शामिल है) योजना के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

ड. ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 11,620 मेगावाट/69,720 मेगावाट घंटा की पम्पड स्टोरेज परियोजनाएँ (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 6,580 मेगावाट/39,480 मेगावाट घंटा क्षमता की पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिन्हें अभी निर्माण हेतु लिया जाना शेष है। वर्तमान में 9,653.94 मेगावाट/26,729.32 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता निर्माणाधीन है तथा 19,797.65 मेगावाट/61,013.40 मेगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता निविदा चरण में है।

II. **पारेषण योजना:** अंतर-राज्यीय एवं अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है तथा इसके कार्यान्वयन को उत्पादन क्षमता वृद्धि के अनुरूप समय-सीमा में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 की दस-वर्षीय अवधि के दौरान (220 केवी एवं उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) लगभग 1,91,474 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों तथा 1,274 जीवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता को जोड़े जाने की योजना है।

III. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का संवर्धन:

- (i) दिनांक 30 जून, 2025 तक (इसके बाद जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी होगी) शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली एक ही स्थान पर स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अवाई होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030

तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर, 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क को 100% माफ किया गया है।

- (ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- (iii) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आईआईए) नियमित रूप से आई विद्युत की खरीद के लिए बोलियां आमंत्रित कर रही हैं।
- (iv) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (v) नवीकरणीय ऊर्जा के तीव्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2032 तक की पारेषण योजना तैयार की गई है।
- (vi) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई उप-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।
- (viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत (जनजाति एवं पीवीटीजी आबादी/गांवों के लिए) नई सौर ऊर्जा योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।
- (ix) नवीकरणीय ऊर्जा की खपत को प्रोत्साहित करने हेतु नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की ट्रेजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरपीओ का अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान होगा।
- (x) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति" जारी की गई है।
- (xi) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री की सुगमता हेतु ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम) की शुरुआत की गई है।
- (xii) सौर पीवी मॉड्यूलों की आपूर्ति शृंखला के स्थानीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम प्रारंभ की गई है।

(ड) : राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त भंडारण क्षमता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने सहायक सेवाएँ विनियम, 2022 अधिसूचित किए हैं। यद्यपि ग्रिड कोड में निर्धारित अनुसार प्रत्येक नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत राज्य स्तर पर पर्याप्त रिजर्व का अनुरक्षण ग्रिड सुरक्षा के लिए आवश्यक है तथापि ये विनियम क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सहायक सेवाओं की खरीद, तैनाती तथा निपटान के लिए एक संरचित ढाँचा प्रदान करते हैं। प्रशासित तथा बाजार-आधारित दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से ये तंत्र प्रभावी आवृत्ति नियंत्रण को सक्षम बनाते हैं, ग्रिड आवृत्ति को 50 हर्ट्ज़ के निकट बनाए रखने में सहायता करते हैं, अनुमेय सीमाओं के भीतर आवृत्ति की पुनर्स्थापना को सुगम बनाते हैं तथा पारेषण जाम की समस्या का समाधान करते हैं, जिससे राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली का सुरक्षित, संरक्षित एवं विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित होता है।

दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, 73.3 गीगावाट की संस्थापित क्षमता वाले कुल 76 विद्युत संयंत्रों को ऑटोमैटिक ग्रिड कंट्रोल (एजीसी) के अंतर्गत सफलतापूर्वक जोड़ा गया है और उपलब्ध होने पर द्वितीय रिजर्व सहायक सेवा (एसआरएस) के अंतर्गत 24x7 नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं।

तृतीयक रिजर्व सहायक सेवा (टीआरएएस) के अंतर्गत रिजर्व की खरीद विद्युत एकसर्चों के माध्यम से डे-अहेड एंसिलरी मार्केट तथा रीयल-टाइम एंसिलरी मार्केट में की जाती है। टीआरएएस से संबंधित प्रावधानों को भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी), 2023 में भी सम्मिलित किया गया है, जिसे 1 अक्टूबर, 2023 से लागू किया गया है।

(च) : भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) की धारा 31.2(क) के अनुसार, प्रत्येक राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) को प्रचालन योजना के अंतर्गत मांग आकलन करना अनिवार्य है, जिसमें संसाधन पर्याप्तता योजना के अंतर्गत राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) द्वारा किए गए मांग आकलन को विधिवत सम्मिलित किया जाता है। तदनुसार, सुरक्षित एवं विश्वसनीय ग्रिड संचालन को समर्थन देने के लिए अनेक समयावधियों दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक, में मांग पूर्वानुमान किया जाता है।

एलएलडीसी, आरएलडीसी तथा एनएलडीसी के मध्य नियमित डेटा आदान-प्रदान एवं समन्वय हेतु एक संरचित तंत्र स्थापित किया गया है। आरएलडीसी अपने-अपने नियंत्रण क्षेत्रों के अंतर्गत राज्यों को डे-अहेड तथा रीयल-टाइम समयावधियों में संभावित भार-उत्पादन संतुलन के संबंध में नियमित रूप से अवगत कराते हैं।

(छ) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण तथा उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) लागू की है। राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी अविद्युतीकृत संगणना गाँवों का 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया। डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत देश में कुल 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें से 2,583 गाँव झारखंड में, जिसमें चतरा संसदीय क्षेत्र भी सम्मिलित है, का विद्युतीकरण किया गया।

भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक अविद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना था। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य अवधि के दौरान देश में लगभग 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें से 17,30,708 घर झारखंड में, जिसमें चतरा संसदीय क्षेत्र भी शामिल है, का विद्युतीकरण किया गया।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत शेष रह गए घरों के विद्युतीकरण हेतु राज्यों को निरंतर सहायता प्रदान कर रही है। अब तक देश में 13,65,139 घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,521.85 करोड़ रु. की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनमें झारखंड में 40,454 घरों के लिए 206.12 रु. करोड़ शामिल हैं।

(ज) : वर्तमान में चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) का उद्देश्य अखिल-भारतीय स्तर पर एटीएंडसी हानियों को 12-15% तक लाना तथा एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना है। इस स्कीम के अंतर्गत 2.84 लाख करोड़ रु. की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनमें 1.53 लाख करोड़ रु. की वितरण अवसंरचना से संबंधित कार्य सम्मिलित हैं, जिनमें पुराने/क्षतिग्रस्त कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, लो-टेंशन एरियल बंचड (एलटी-एबी) केबल बिछाना, वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटी)/उप-स्टेशनों का अपग्रेडेशन/बढ़ावा देना, कृषि फीडर पृथक्करण आदि शामिल हैं। स्कीम के अंतर्गत निधियां जारी करना वितरण यूटिलिटी के विभिन्न वित्तीय मानकों के सापेक्ष प्रदर्शन से जोड़ा गया है, जिनमें प्रमुख रूप से एटीएंडसी हानियाँ तथा एसीएस-एआरआर अंतर शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता, डीटी तथा फीडर स्तर पर स्मार्ट मीटरिंग आरडीएसएस के अंतर्गत परिकल्पित महत्वपूर्ण गतिविधियों में से है, जिससे डिस्कॉम को सभी स्तरों पर ऊर्जा प्रवाह के मापन के साथ-साथ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऊर्जा लेखांकन की सुविधा प्राप्त होती है। उचित और सटीक ऊर्जा लेखांकन उच्च हानि क्षेत्रों और चोरी संभावित क्षेत्रों की पहचान करने की कुंजी है, जिससे, उपयोगिताओं की बिलिंग और संग्रह दक्षता में काफी सुधार होता है, जिससे डिस्कॉम की एटीएंडसी हानि कम हो जाती है।

केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी की एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गई है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) के दौरान ऊर्जा और उच्चतम के संदर्भ में देश में अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू) में]				उच्चतम [मेगावाट में]			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति ऊर्जा (एमयू)	अनापूर्ति ऊर्जा		उच्चतम मांग (मेगावाट)	उच्चतम आपूर्ति (मेगावाट)	मांग पूरी नहीं हुई	
			(एमयू)	(%)			(मेगावाट)	(%)
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	2,15,888	2,07,231	8,657	4.0
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3	2,43,271	2,39,931	3,340	1.4
2024-25	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	2,49,856	2,49,854	2	0.0
2025-26 (दिसंबर तक, 2025)	12,85,913	12,85,553	360	0.0	2,42,773	2,42,493	280	0.1

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण:

(आंकड़े एमयू में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023				अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,788	1,788	0	0.0	1,789	1,789	0	0.0
दिल्ली	35,143	35,133	10	0.0	35,501	35,496	5	0.0
हरियाणा	61,451	60,945	506	0.8	63,983	63,636	348	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,649	12,542	107	0.8	12,805	12,767	38	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	19,639	19,322	317	1.6	20,040	19,763	277	1.4
पंजाब	69,522	69,220	302	0.4	69,533	69,528	5	0.0
राजस्थान	1,01,801	1,00,057	1,745	1.7	1,07,422	1,06,806	616	0.6
उत्तर प्रदेश	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8	1,48,791	1,48,287	504	0.3
उत्तराखंड	15,647	15,386	261	1.7	15,644	15,532	112	0.7
उत्तरी क्षेत्र	4,63,088	4,58,640	4,449	1.0	4,76,852	4,74,946	1,906	0.4
छत्तीसगढ़	37,446	37,374	72	0.2	39,930	39,872	58	0.1
गुजरात	1,39,043	1,38,999	44	0.0	1,45,768	1,45,740	28	0.0
मध्य प्रदेश	92,683	92,325	358	0.4	99,301	99,150	151	0.2
महाराष्ट्र	1,87,309	1,87,197	111	0.1	2,07,108	2,06,931	176	0.1
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	10,018	10,018	0	0.0	10,164	10,164	0	0.0
गोवा	4,669	4,669	0	0.0	5,111	5,111	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	4,77,393	4,76,808	586	0.1	5,17,714	5,17,301	413	0.1
आंध्र प्रदेश	72,302	71,893	410	0.6	80,209	80,151	57	0.1
तेलंगाना	77,832	77,799	34	0.0	84,623	84,613	9	0.0
कर्नाटक	75,688	75,663	26	0.0	94,088	93,934	154	0.2
केरल	27,747	27,726	21	0.1	30,943	30,938	5	0.0
तमिलनाडु	1,14,798	1,14,722	77	0.1	1,26,163	1,26,151	12	0.0
पुदुचेरी	3,051	3,050	1	0.0	3,456	3,455	1	0.0
लक्षद्वीप	64	64	0	0.0	64	64	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	3,71,467	3,70,900	567	0.2	4,19,531	4,19,293	238	0.1
बिहार	39,545	38,762	783	2.0	41,514	40,918	596	1.4
डीवीसी	26,339	26,330	9	0.0	26,560	26,552	8	0.0
झारखंड	13,278	12,288	990	7.5	14,408	13,858	550	3.8
ओडिशा	42,631	42,584	47	0.1	41,358	41,333	25	0.1
पश्चिम बंगाल	60,348	60,274	74	0.1	67,576	67,490	86	0.1
सिक्किम	587	587	0	0.0	544	543	0	0.0
अंडमान-निकोबार	348	348	0	0.12914	386	374	12	3.2
पूर्वी क्षेत्र	1,82,791	1,80,888	1,903	1.0	1,92,013	1,90,747	1,266	0.7
अरुणाचल प्रदेश	915	892	24	2.6	1,014	1,014	0	0.0
असम	11,465	11,465	0	0.0	12,445	12,341	104	0.8
मणिपुर	1,014	1,014	0	0.0	1,023	1,008	15	1.5
मेघालय	2,237	2,237	0	0.0	2,236	2,066	170	7.6
मिजोरम	645	645	0	0.0	684	684	0	0.0
नागालैंड	926	873	54	5.8	921	921	0	0.0
त्रिपुरा	1,547	1,547	0	0.0	1,691	1,691	0	0.0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	18,758	18,680	78	0.4	20,022	19,733	289	1.4
अखिल भारत	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण:

(आंकड़े एमयू में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2024 - मार्च, 2025				अप्रैल, 2025 - दिसंबर, 2025			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,952	1,952	0	0.0	1,509	1,509	1	0.0
दिल्ली	38,255	38,243	12	0.0	31,006	30,999	7	0.0
हरियाणा	70,149	70,120	30	0.0	55,932	55,867	65	0.1
हिमाचल प्रदेश	13,566	13,526	40	0.3	10,329	10,294	36	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	20,374	20,283	90	0.4	14,874	14,862	12	0.1
पंजाब	77,423	77,423	0	0.0	60,827	60,786	41	0.1
राजस्थान	1,13,833	1,13,529	304	0.3	82,763	82,763	0	0.0
उत्तर प्रदेश	1,65,090	1,64,786	304	0.2	1,29,329	1,29,304	26	0.0
उत्तराखंड	16,770	16,727	43	0.3	12,630	12,582	49	0.4
उत्तरी क्षेत्र	5,18,869	5,17,917	952	0.2	4,00,413	4,00,176	236	0.1
छत्तीसगढ़	43,208	43,180	28	0.1	31,502	31,494	8	0.0
गुजरात	1,51,878	1,51,875	3	0.0	1,17,364	1,17,364	0	0.0
मध्य प्रदेश	1,04,445	1,04,312	133	0.1	75,081	75,073	8	0.0
महाराष्ट्र	2,01,816	2,01,757	59	0.0	1,48,848	1,48,839	9	0.0
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	10,852	10,852	0	0.0	8,439	8,439	0	0.0
गोवा	5,411	5,411	0	0.0	4,086	4,086	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	5,28,924	5,28,701	223	0.0	3,95,551	3,95,526	25	0.0
आंध्र प्रदेश	79,028	79,025	3	0.0	59,543	59,537	6	0.0
तेलंगाना	88,262	88,258	4	0.0	61,062	61,055	7	0.0
कर्नाटक	92,450	92,446	4	0.0	67,547	67,538	9	0.0
केरल	31,624	31,616	8	0.0	22,949	22,946	2	0.0
तमिलनाडु	1,30,413	1,30,408	5	0.0	99,901	99,892	10	0.0
पुदुचेरी	3,549	3,549	0	0.0	2,691	2,688	3	0.1
लक्षद्वीप	68	68	0	0.0	54	54	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	4,25,373	4,25,349	24	0.0	3,13,730	3,13,692	38	0.0
बिहार	44,393	44,217	176	0.4	37,294	37,280	13	0.0
डीवीसी	25,891	25,888	3	0.0	18,595	18,592	3	0.0
झारखंड	15,203	15,126	77	0.5	11,735	11,731	5	0.0
ओडिशा	42,882	42,858	24	0.1	34,064	34,059	5	0.0
पश्चिम बंगाल	71,180	71,085	95	0.1	56,878	56,846	32	0.1
सिक्किम	574	574	0	0.0	382	382	0	0.0
अंडमान-निकोबार	425	413	12	2.9	318	301	17	5.5
पूर्वी क्षेत्र	2,00,180	1,99,806	374	0.2	1,58,993	1,58,935	58	0.0
अरुणाचल प्रदेश	1,050	1,050	0	0.0	909	909	0	0.0
असम	12,843	12,837	6	0.0	10,973	10,973	1	0.0
मणिपुर	1,079	1,068	10	0.9	863	861	3	0.3
मेघालय	2,046	2,046	0	0.0	1,542	1,542	0	0.0
मिजोरम	709	709	0	0.0	559	559	0	0.0
नागालैंड	938	938	0	0.0	772	772	0	0.0
त्रिपुरा	1,939	1,939	0	0.0	1,523	1,523	0	0.0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	20,613	20,596	16	0.1	17,228	17,224	3	0.0
अखिल भारत	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	12,85,913	12,85,553	360	0.0

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-990
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति

990. श्री देवेश शाक्य:
श्री विजय बघेल:
श्री जगदम्बिका पाल:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्रीमती लवली आनंद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश के आंवला, बदायूं और कासगंज जिलों में देखे गए विशिष्ट प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कार्यान्वित, सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध उपायों के माध्यम से समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कितनी कमी आई है और स्थानीय स्तर पर विद्युत आपूर्ति और बिलिंग क्षमता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान प्रीपेड या स्मार्ट मीटर लगाने में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि हां, तो आंवला, बदायूं और कासगंज में तत्संबंधी क्षेत्र-वार और मीटर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन उपायों से राजस्व संग्रहण, उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता और निर्बाध विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : भारत सरकार वितरण यूटिलिटी स्तर पर वित्तीय एवं प्रचालनात्मक मानकों की निगरानी करती है, जिसकी गणना उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणियों के आधार पर की जाती है। दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉमवार प्रमुख वित्तीय मानकों का ब्यौरा अनुबंध पर संलग्न है।

(ग) से (ङ) : (i) वितरण यूटिलिटी की प्रचालनात्मक दक्षता एवं वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना से संबंधित 2.83 लाख करोड़ रु. के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ii) स्मार्ट मीटरिंग से उपभोक्ताओं के साथ-साथ वितरण यूटिलिटी को भी लाभ होता है। यह स्वचालित ऊर्जा लेखांकन को सक्षम बनाती है तथा बिलिंग एवं संग्रह दक्षता में सुधार के माध्यम से डिस्कॉम के राजस्व संग्रह को सुदृढ़ करती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत वितरण अवसंरचना कार्यों के क्रियान्वयन से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

(iii) वित्त वर्ष 2024 के अंत तक देशभर में कुल 1.05 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए तथा वित्त वर्ष 2025 के अंत तक 2.58 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए। स्मार्ट मीटरों की स्थापना दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अब तक देशभर में कुल 5.4 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

अपेक्षित जिला-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिला	मीटर संस्थापना की स्थिति	उपभोक्ता	डीटी	फीडर
कासगंज	स्वीकृत (सं.)	2,06,771	5,445	86
	संस्थापित	81,423	1,374	101
बदायूं	स्वीकृत (सं.)	3,29,651	51,025	96
	संस्थापित	43,661	4,873	360
बरेली (आंवला नगर सहित)	स्वीकृत (सं.)	5,61,460	43,071	126
	संस्थापित	87,876	6,143	398

(iv) केंद्र एवं राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ वित्त वर्ष 2020-21 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 15.04% रह गई हैं। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर औसत आपूर्ति लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर) के बीच का अंतर 0.69 रुपये प्रति किलोवाट घंटा से घटकर 0.06 रु. प्रति किलोवाट घंटा रह गया है। आपूर्ति की विश्वसनीयता में भी सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 में देश में औसतन प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति अवधि ग्रामीण क्षेत्रों में 22.6 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 23.4 घंटे हो गई है। इन समेकित प्रयासों के फलस्वरूप डिस्कॉम ने पहली बार 2,701 करोड़ रुपये का कर-पश्चात लाभ अर्जित किया है।

दिनांक 31.03.2025 तक डिस्कॉम के अनुसार वित्तीय और प्रचालनात्मक मापदंड

राज्य/ डिस्कॉम	एटीएंडसी हानि (%)	एसीएस-एआरआर अंतर (₹./केडब्ल्यूएच)	संचित अधिशेष/ (हानि) (करोड़ रुपये)	कुल उधार (करोड़ रुपये)
राज्य क्षेत्र	15.40	0.11	(6,77,561)	7,11,402
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24.14	2.22	-	-
अंडमान और निकोबार पीडी	24.14	2.22	-	-
आंध्र प्रदेश	7.87	(0.15)	(29,420)	77,583
एपीसीपीडीसीएल	7.95	(0.62)	(9,688)	21,204
एपीईपीडीसीएल	7.70	(0.02)	(7,155)	20,693
एपीएसपीडीसीएल	7.99	(0.01)	(12,577)	35,687
अरुणाचल प्रदेश	46.20	0.00	-	-
अरुणाचल प्रदेश पीडी	46.20	0.00	-	-
असम	15.44	(0.26)	(1,028)	1,131
एपीडीसीएल	15.44	(0.26)	(1,028)	1,131
बिहार	15.51	(0.41)	(16,526)	14,002
एनबीपीडीसीएल	14.49	(0.57)	(4,917)	6,509
एसबीपीडीसीएल	16.35	(0.28)	(11,608)	7,494
छत्तीसगढ़	14.25	(0.19)	(10,423)	5,428
सीएसपीटीसीएल	14.25	(0.19)	(10,423)	5,428
दिल्ली	8.36	(0.86)	-	-
एनडीएमसी	8.36	(0.86)	-	-
गोवा	10.39	0.20	-	-
गोवा पीडी	10.39	0.20	-	-
गुजरात	8.25	(0.40)	7,355	258
डीजीवीसीएल	4.26	(0.46)	2,507	26
एमजीवीसीएल	8.37	(0.24)	877	9
पीजीवीसीएल	12.73	(0.44)	2,276	208
यूजीवीसीएल	6.16	(0.33)	1,695	15
हरियाणा	11.76	0.10	(27,915)	20,311
डीएचबीवीएनएल	12.20	0.03	(13,052)	12,099
यूएचबीवीएनएल	11.12	0.20	(14,862)	8,213
हिमाचल प्रदेश	19.44	0.23	(3,391)	7,024
एचपीएसईबीएल	19.44	0.23	(3,391)	7,024
झारखंड	28.19	0.95	(20,512)	22,381

जेबीवीएनएल	28.19	0.95	(20,512)	22,381
कर्नाटक	11.92	0.69	(34,980)	47,993
बेस्कॉम	12.50	1.21	(13,819)	22,611
चेस्कॉम	8.76	0.36	(4,064)	5,410
गेस्कॉम	13.48	0.10	(5,661)	6,147
हेस्कॉम	12.14	0.23	(11,398)	12,251
मेस्कॉम	10.02	(0.00)	(37)	1,575
केरल	6.61	(0.17)	(38,648)	17,638
केएसईबीएल	6.61	(0.17)	(38,648)	17,638
टीसीईडी	6.94	(0.13)	-	-
लद्दाख	26.82	(0.89)	-	-
लद्दाख पीडी	26.82	(0.89)	-	-
मध्य प्रदेश	22.76	(0.04)	(71,394)	49,239
एमपीमाकेवीवीसीएल	29.60	0.22	(30,900)	18,176
एमपीपाकेवीवीसीएल	12.78	(0.36)	(12,503)	14,184
एमपीपोकेवीवीसीएल	26.66	0.02	(27,992)	16,878
महाराष्ट्र	17.69	0.56	(35,671)	90,659
बीईएसटी	5.07	0.60	-	-
एमएसईडीसीएल	18.09	(0.70)	(35,671)	90,659
मणिपुर	12.90	(0.20)	(290)	745
एमएसपीटीसीएल	12.90	(0.20)	(290)	745
मेघालय	17.52	0.13	(4,962)	1,474
एमईपीडीसीएल	17.52	0.13	(4,962)	1,474
मिजोरम	32.31	(0.34)	-	-
मिजोरम पीडी	32.31	(0.34)	-	-
नागालैंड	48.86	(0.50)	-	-
नागालैंड पीडी	48.86	(0.50)	-	-
पुडुचेरी	14.72	(0.64)	-	-
पुडुचेरी पीडी	14.72	(0.64)	-	-
पंजाब	19.21	(0.30)	(3,404)	17,411
पीएसपीसीएल	19.21	(0.30)	(3,404)	17,411
राजस्थान	15.18	(0.04)	(90,303)	98,488
एवीवीएनएल	9.22	(0.45)	(25,563)	26,126
जेडीवीवीएनएल	21.42	0.02	(34,689)	36,793
जेवीवीएनएल	13.75	0.18	(30,052)	35,569
सिक्किम	21.84	0.33	-	-
सिक्किम पीडी	21.84	0.33	-	-
तमिलनाडु	10.96	(0.19)	(1,19,153)	1,01,782
टीएनपीडीसीएल	10.96	(0.19)	(1,19,153)	1,01,782
तेलंगाना	19.84	0.27	(69,741)	59,230

टीएसएनपीडीसीएल	23.22	0.53	(21,399)	21,885
टीएसएसपीडीसीएल	18.51	0.17	(48,342)	37,345
त्रिपुरा	29.61	1.40	(991)	842
टीएसईसीएल	29.61	1.40	(991)	842
उत्तर प्रदेश	19.54	0.73	(1,00,858)	61,395
डीवीवीएनएल	19.70	1.03	(33,974)	16,412
केस्को	14.29	1.09	(5,232)	2,243
एमवीवीएनएल	17.70	1.11	(25,236)	14,338
पीएवीवीएनएल	11.91	(0.29)	(8,782)	6,562
पुवीवीएनएल	30.70	1.30	(27,634)	21,840
उत्तराखंड	15.08	0.06	(5,482)	1,729
यूपीसीएल	15.08	0.06	(5,482)	1,729
पश्चिम बंगाल	17.17	(0.03)	174	14,658
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	17.17	(0.03)	174	14,658
निजी क्षेत्र	10.05	(0.64)	30,351	14,975
दिल्ली	6.48	(1.13)	22,184	2,914
बीआरपीएल	6.70	(0.89)	12,892	894
बीवाईपीएल	7.15	(0.95)	5,650	701
टीपीडीडीएल	5.70	(1.58)	3,642	1,319
गुजरात	3.63	(0.42)	3,892	3,562
टोरेंट पावर अहमदाबाद	3.80	(0.30)	3,206	3,354
टोरेंट पावर सूरत	3.24	(0.67)	686	208
महाराष्ट्र	4.99	(2.04)	1,245	3,818
एईएमएल	4.99	(2.04)	1,245	3,818
ओडिशा	17.81	0.18	1,263	4,531
टीपीएनओडीएल	12.51	(0.06)	480	1,006
टीपीएसओडीएल	23.36	0.82	219	1,498
टीपीडब्ल्यूओडीएल	17.64	0.36	301	1,093
टीपीसीओडीएल	19.11	(0.09)	262	933
उत्तर प्रदेश	8.48	(0.15)	1,561	0
एनपीसीएल	8.48	(0.15)	1,561	0
पश्चिम बंगाल	4.68	0.19	205	151
आईपीसीएल	4.68	0.19	205	151
कुल योग	15.04	0.06	(6,47,210)	7,26,378

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1011

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी द्वारा परमाणु परियोजनाओं की स्थापना

†1011. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) देश के विभिन्न स्थानों पर कंपनी के स्वामित्व वाली लगभग 30 गीगावॉट की परमाणु परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह वर्ष 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु क्षमता प्राप्त करने के सरकार के निर्णय के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को विविध ऊर्जा उत्पादन के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और ईंधन के क्षेत्र में अनेक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों की संभावना तलाश रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि एनटीपीसी द्वारा वर्ष 2032 तक 2 गीगावॉट परमाणु क्षमता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई एनटीपीसी लिमिटेड, वर्ष 2047 तक निम्नलिखित दो माध्यमों से 30 गीगावाट परमाणु विद्युत क्षमता स्थापित करने की योजना बना रहा है:

- (i) अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (अश्विनी), जो एनटीपीसी लिमिटेड और भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) का एक संयुक्त उद्यम है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 4×700 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना अर्थात माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (एमबीआरएपीपी) की स्थापना की प्रक्रिया में है।
- (ii) एनटीपीसी लिमिटेड ने आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने के पश्चात कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 07.01.2025 को एक पूर्णतः स्वामित्व वाली परमाणु सहायक कंपनी एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीयूएनएल) का गठन किया है।

उक्त 30 गीगावाट का लक्ष्य, वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु विद्युत क्षमता प्राप्त करने संबंधी सरकार के निर्णय का एक हिस्सा है।

(ग) : एनटीपीसी लिमिटेड ने विभिन्न विकल्पों तथा अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ संभावित सहयोग की संभावनाओं का अन्वेषण करने के उद्देश्य से, रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की है।

(घ) एवं (ङ) : इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी लिमिटेड अपने संयुक्त उद्यम अश्विनी के माध्यम से राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 4×700 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना, अर्थात माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (एमबीआरएपीपी) की स्थापना की प्रक्रिया में है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, एमबीआरएपीपी की पहली 700 मेगावाट यूनिट का प्रारंभिक परीक्षण वित्त वर्ष 2032-33 में किया जाना प्रस्तावित है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1038

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

पीक आवर्स के दौरान बार-बार बिजली की कटौती

1038. श्री जय प्रकाश:

श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा राज्य में विशेष रूप से हिसार और सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पीक आवर्स के दौरान बार-बार बिजली कटौती और वोल्टेज उतार-चढ़ाव की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिससे घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को गंभीर असुविधा हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पारेषण और वितरण बुनियादी ढांचे का विस्तार बढ़ती मांग के अनुरूप नहीं रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सौर फीडर योजना का कार्यान्वयन अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2020 में सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितने सौर फीडर स्वीकृत, स्थापित और कार्यात्मक बनाए गए हैं;

(ङ) वर्ष 2020 से हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज अधिकतम पीक लोड मांग और उसी अवधि के दौरान बिजली आपूर्ति की उपलब्धता क्या रही है;

(च) क्या मंत्रालय ने पीक आवर्स के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बिजली उत्पादन, भार प्रबंधन या ग्रिड सुदृढ़ीकरण जैसे कोई विशिष्ट उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में हिसार क्षेत्र में इन मुद्दों के स्थायी समाधान और सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सौर फीडर और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सरकार की समयबद्ध कार्ययोजना क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, अतः उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित कार्य राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र में आती है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की पूरक सहायता के लिए विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों को पूरा करती है।

हरियाणा राज्य की वास्तविक बिजली आपूर्ति की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)
2024-25	70,149	70,120	29
2025-26 (दिसंबर, 2025 तक)	55,932	55,867	65

स्रोत: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)

यह देखा जा सकता है कि हरियाणा में विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच का अंतर नगण्य है। इसके अलावा, जैसा कि राज्य द्वारा बताया गया है, हरियाणा राज्य में उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी में विद्युत आपूर्ति में कोई निर्धारित कटौती नहीं है।

(ख) : जैसा कि राज्य द्वारा बताया गया है, राज्य के पारेषण और वितरण अवसंरचना को मांग की पूर्ति के लिए हर वर्ष बढ़ाया जाता है और इस संबंध में कोई कमी नहीं है। इसके अलावा, भारत सरकार (जीओआई) की संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, हरियाणा राज्य के लिए 6,794 करोड़ रुपये की कुल लागत वाले वितरण अवसंरचना कार्यों को संस्वीकृति दी गई है और वे कार्यान्वयन के अधीन हैं। संस्वीकृत कार्यों में नए/उन्नयन किए जाने वाले वितरण ट्रांसफार्मर और सबस्टेशन, फीडर विभाजन, पुराने अनावृत कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा), डेटा प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) आदि सहित आधुनिकीकरण कार्य शामिल हैं।

(ग) : हरियाणा राज्य में विभिन्न स्कीमों के तहत सौरीकरण किया जा रहा है। विवरण निम्नानुसार हैं:

(i) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम कुसुम): सौर संयंत्रों की स्थापना निम्नानुसार की जा रही है:

- आवंटित क्षमता: 158 मेगावाट
- जारी एलओए: 129.8 मेगावाट
- हस्ताक्षरित पीपीए: 124.8 मेगावाट
- शुरू की गई क्षमता (31.12.2025 तक): 28.61 मेगावाट

इसके अलावा, 1,58,486 स्टैंड अलोन सौर पंप संस्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, 16 फीडरों पर फीडर स्तर का सौरीकरण सहित ग्रिड से जुड़े 2,817 कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए 6.5 मेगावाट के कार्य अवार्ड किए गए हैं और कार्यान्वयनाधीन है।

(ii) पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी-एमबीवाई): अब तक घरेलू घरों के लिए 52,412 रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।

(घ) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सोनीपत जिले में कोई अलग सौर फीडर नहीं है। तथापि, सोनीपत जिले में अब तक 3,982 रूफटॉप ऑन-ग्रिड कनेक्शन जारी किए गए हैं।

(ङ) : हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हिसार जिला, जींद जिले का हिस्सा और भिवानी जिले का हिस्सा शामिल है। डिस्कॉम रिकॉर्ड के अनुसार, दर्ज की गई अधिकतम उच्चतम भार मांग निम्नानुसार है:

(मेगावाट में)

वित्तीय वर्ष	हिसार (हिसार एवं फतेहाबाद जिला)	भिवानी (भिवानी और चरखी दादरी जिला)	जौंद (जौंद जिला)
2020-21	1050	558	735
2021-22	1170	625	710
2022-23	976	677	712
2023-24	1327	652	729
2024-25	1308	575	874
2025-26 (दिसंबर-2025 तक)	1276	576	739

(च) : भारत सरकार ने देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) सीईए ने राज्यों को उनकी "संसाधन पर्याप्तता योजनाओं (आरएपी)" की तैयारी में सहायता की है, जो 10 वर्षीय गतिशील रोलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय आयोजना भी शामिल है। सभी राज्य अपनी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार, सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमताएं बनाने/अनुबंधित करने की प्रक्रिया में हैं।
- (ii) विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने न्यूनतम 97,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है।
- (iii) 12,973.5 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 4,274 मेगावाट की परियोजनाएं आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं।
- (iv) 6,600 मेगावाट परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और 7,000 मेगावाट क्षमता आयोजना के विभिन्न चरणों में है।
- (v) 1,57,800 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है और 48,720 मेगावाट क्षमता आयोजना के विभिन्न चरणों में है।
- (vi) 11,620 मेगावाट/69,720 मेगावाट घंटे पंप भंडारण परियोजना (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। 9,653.94 मेगावाट/26,729.32 मेगावाट घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) निर्माणाधीन हैं और 19,797.65 मेगावाट/61,013.40 मेगावाट घंटे बीईएसएस क्षमता निविदा चरण के अधीन है।
- (vii) अंतर-राज्यीय और अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि के समतुल्य समय सीमा में इसका कार्यान्वयन किया गया है।
- (viii) इसके अलावा, आरडीएसएस के तहत 1.53 लाख करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना कार्यों को संस्वीकृति दी गई है और वे कार्यान्वयन के अधीन हैं।

(छ) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विद्युत नेटवर्क को भार वृद्धि/आवश्यकता के अनुसार नियमित रूप से उन्नत किया जा रहा है ताकि हिसार संसदीय क्षेत्र में उपभोक्ताओं को निर्धारित विद्युत आपूर्ति प्रदान करने में कोई समस्या न हो और सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को निर्बाध निर्धारित विद्युत आपूर्ति प्रदान करने में कोई दिक्कत न हो।

नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार के लिए, पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी-एमबीवाई) के तहत सोनीपत जिले में 7,139 घरों और हिसार जिले में 7,340 घरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यह कार्यान्वयन के अधीन है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1065
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

बदायूं में विद्युत वितरण परियोजनाएं

1065. श्री आदित्य यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में विद्युत वितरण को मजबूत करने के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और चीनी मिलों तथा रासायनिक संयंत्रों जैसी बड़ी औद्योगिक इकाइयों को विश्वसनीय विद्युत अवसंरचना के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बदायूं जिले में औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने, पारेषण लाइनों में सुधार करने और विद्युत कटौती को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ): चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, अतः उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और औद्योगिक इकाइयों सहित सभी उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए अपनी वितरण अवसंरचना में सुधार और वृद्धि करना संबंधित वितरण यूटिलिटी की जिम्मेदारी है।

भारत सरकार (जीओआई) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को निष्पादित किया गया। इसके अलावा, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्कीम के तहत संस्वीकृति दी गई है और वे कार्यान्वयन के अधीन हैं। इसमें बदायूं जिले के लिए 529 करोड़ रुपये की लागत वाले कार्य शामिल हैं। संस्वीकृत कार्यों में सब-स्टेशनों और वितरण ट्रांसफार्मरों का उन्नयन / संवर्धन, कंडक्टरों का उन्नयन, मिश्रित-लोड फीडर का पृथक्करण, स्मार्ट मीटरिंग कार्य आदि शामिल हैं।

जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है, बदायूं जिले में एक नया 220 केवी सबस्टेशन बनाया गया है और 132 केवी के 4 सबस्टेशनों को उन्नत किया गया है। इसके अलावा, व्यवसाय योजना 2023-24 और 2024-25 के तहत, 4 नए 33/11 केवी सबस्टेशनों की स्थापना, 33 केवी के 11 फीडरों के सुदृढ़ीकरण और 25 विद्युत ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, आरडीएसएस के तहत, 4 नए 33 केवी फीडरों के वितरण अवसंरचना संबंधी कार्य एवं 11 केवी के 34 फीडरों व 109 एलटी फीडरों के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य पूरे हो चुके हैं। इन सभी कार्यों से बदायूं जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों सहित उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) स्कीम के तहत, बदायूं जिले में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए, 33 / 11 केवी पावर सबस्टेशनों से कृषि फीडरों के सौरीकरण के लिए सौर संयंत्रों (कुल 74.70 मेगावाट) की संस्थापना के लिए विद्युत क्रय करार (पीपीए) निष्पादित किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1086

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

बिहार में ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1086. श्री राजेश रंजन

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के कोसी सीमांचल क्षेत्र में फसल सीजन के दौरान वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, विद्युत भार कम होना, ट्रिपिंग और बिजली की कटौती तथा उद्योगों के लिए 24X7 विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की कमी को ध्यान में रखते हुए बहुउद्देशीय बांध आधारित विद्युत परियोजनाओं और लघु जल विद्युत परियोजनाओं सहित कोशी, महानंदा और कर्मनाशा जैसी नदियों पर ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीआर) और गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के लिए बिहार राज्य सरकार के साथ किसी योजना पर विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, देश में विद्युत उत्पादन एक गैर लाइसेंस गतिविधि है और कोई भी उत्पादन कंपनी इस अधिनियम के अंतर्गत बिना लाइसेंस प्राप्त किए विद्युत उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण कर सकती है, बशर्ते कि वह ग्रिड कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती हो।

बिहार राज्य में 3060 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत क्षमता निर्माणाधीन है। यूनिट-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	क्षेत्र	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)
1	बक्सर टीपीपी	एसजेवीएन	केन्द्रीय	यू-2	660
2	नबीनगर एसटीपीपी, चरण-II	एनटीपीसी	केन्द्रीय	यू-4	800
3			केन्द्रीय	यू-5	800
4			केन्द्रीय	यू-6	800
निर्माणाधीन कुल कोयला आधारित क्षमता					3060

इसके अतिरिक्त, भागलपुर ज़िले के पीरपेंती में 2,400 मेगावाट (3×800 मेगावाट) की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना एक निजी विकासकर्ता द्वारा स्थापित की जा रही है, जिसे टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से अवाई किया गया है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को सहमति हेतु बिहार राज्य में केवल एक जलविद्युत परियोजना अर्थात कोसी नदी पर डगमारा (130.1 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त हुई। यह डीपीआर जून, 2021 में सीईए को प्राप्त हुई थी; तथापि अत्यधिक उच्च टैरिफ के कारण इसे जनवरी, 2022 में वापस कर दिया गया।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1098
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

इंसुलेटेड कंडक्टरों के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए नीति

†1098. श्री एम.के. राघवन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिजली के झटके की घटनाओं और लाइन फॉल्ट को रोकने के लिए देश भर में इंसुलेटेड या कवर किए गए कंडक्टरों के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए कोई नीति तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इंसुलेटेड विद्युत लाइनों की स्थापना अथवा उन्नयन के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कोई धनराशि आवंटित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने देश में भूमिगत केबलिंग प्रणाली को पूर्णतः या आंशिक रूप से कार्यान्वित कर दिया है; और

(घ) क्या मंत्रालय देश में कम से कम शहरीकृत क्षेत्रों में भूमिगत केबल बिछाने पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : चूँकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, अतः उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित कार्य राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार, सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरक सहायता प्रदान करती है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों

एवं विद्युत लाइनों के निर्माण हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2022 अधिसूचित किए हैं जो विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम, लाइन फॉल्ट में कमी तथा विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से, कुछ क्षेत्रों में इंसुलेटेड केबल, कवर्ड कंडक्टर, एरियल बंड केबल (एबीसी) तथा भूमिगत केबलों के उपयोग को अनिवार्य करते हैं।

इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार:

- तटीय क्षेत्रों में भूमिगत केबलों का उपयोग किया जाएगा।
- घनी आबादी वाले, विद्युत चोरी एवं दुर्घटना-संभावित क्षेत्रों में एरियल बंड केबल (एबीसी) अथवा इंसुलेटेड केबल अथवा कवर्ड कंडक्टर का उपयोग किया जाएगा।
- 33 केवी तथा उससे कम वोल्टेज की विद्युत लाइनें, जो संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के इको-सेंसिटिव ज़ोन एवं वन्यजीव गलियारों से होकर गुजरती हैं, उनके लिए केवल भूमिगत केबलों का उपयोग किया जाएगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वितरण यूटिलिटी वास्तविक फील्ड परिस्थितियों के आधार पर अन्य क्षेत्रों में भी इंसुलेटेड या कवर्ड कंडक्टरों का उपयोग कर सकती हैं।

उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ, वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालनात्मक रूप से सक्षम वितरण क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) आरंभ की। इस स्कीम के अंतर्गत, वितरण अवसंरचना के उन्नयन एवं प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु वितरण यूटिलिटी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत, यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर एरियल बंड केबल (एबीसी)/कवर्ड कंडक्टर एवं भूमिगत केबल, उप-स्टेशनों एवं वितरण ट्रांसफॉर्मरों का उन्नयन/विस्तार, कंडक्टरों का उन्नयन आदि जैसे वितरण अवसंरचना संबंधी कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। अब तक इस योजना के अंतर्गत ₹1.53 लाख करोड़ की वितरण अवसंरचना परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1102

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

जमुई में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाना

†1102. श्री अरुण भारती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने को अनुमोदित/स्वीकृत कर दिया है, यदि हां, तो स्थिति और समय-सीमा का ब्लॉक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार जमुई में कृषि फीडरों को अलग करने करने के कार्य में क्या वास्तविक और वित्तीय प्रगति हुई है;

(ग) क्या वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जमुई में उप-केंद्रों (33/11 केवी) के सुदृढीकरण के लिए धनराशि जारी की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जमुई सर्किल में एटीएंडसी हानियों में कमी की पहचान की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जमुई विरासत/बाजार क्षेत्रों में भूमिगत केबल बिछाने के लिए नई स्वीकृतियां प्रस्तावित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जमुई संसदीय क्षेत्र के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत 54,456 उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग कार्यों को संस्वीकृति दी गई। इसका विवरण इस प्रकार है:

ब्लॉक	संस्वीकृत स्मार्ट प्रीपेड मीटर (संख्या)	अब तक संस्थापित (संख्या)
जमुई	21,729	15,171
झांझा	7,500	3,812
शेखपुर	18,227	9,230
बरबीघा	7,000	4,718
कुल	54,456	32,931

संस्वीकृत किए गए कार्य स्कीम की अवधि समाप्त होने तक अर्थात मार्च, 2028 तक पूरे किए जाने हैं।

(ख) : जमुई संसदीय क्षेत्र में, राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, आरडीएसएस के तहत 102 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 50 फीडरों को अलग करने की संस्तुति दी गई है। संस्तुत किए गए कार्यों में से, अब तक 80 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रगति के साथ 49 फीडर अलग किए जा चुके हैं।

(ग) : आरडीएसएस के तहत, जमुई संसदीय क्षेत्र के लिए 2 नए 2x10 एमवीए सबस्टेशन संस्तुत किए गए हैं और कार्य चल रहा है। इस स्कीम के तहत, वार्षिक मूल्यांकन में पास होने और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार संस्तुत किए गए कार्यों की भौतिक प्रगति के आधार पर वितरण कंपनियों को निधियाँ जारी की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल), जिसमें जमुई सर्कल भी शामिल है, को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार हानि कम करने और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 490 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(घ) : भारत सरकार ने देश में, जिसमें जमुई निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, वितरण अवसंरचना को बेहतर बनाने और एटीएंडसी हानि को कम करने के लिए कई सुधार उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- आरडीएसएस के तहत निधियाँ जारी करना राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा अपने कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने से जुड़ा है। इस स्कीम के तहत, स्वीकृत कार्यों में अनावृत कंडक्टरों को कवर्ड कंडक्टरों से बदलना, एरियल बंड (एबी) केबल बिछाना, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (डीटी)/सब-स्टेशनों का अपग्रेडेशन/बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। इन कार्यों के निष्पादन से एटीएंडसी हानि को कम करने और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग भी आरडीएसएस के तहत परिकल्पित महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है, जिससे एटीएंडसी हानि को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
- राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित शर्तों के मुकाबले विद्युत वितरण यूटिलिटी के प्रदर्शन पर निर्भर हैं।
- ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें पारित हों।

एटीएंडसी हानि की निगरानी वितरण यूटिलिटी स्तर पर की जाती है और उनके ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय खातों के आधार पर गणना की जाती है। इसके अलावा, आरडीएसएस के तहत, एटीएंडसी हानि में कमी के लिए एक ट्रेजेक्टरी भी निर्धारित किया गया है जो निधि जारी करने से जुड़ा है। एसबीपीडीसीएल की उपलब्धि इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 21	वित्तीय वर्ष 22		वित्तीय वर्ष 23		वित्तीय वर्ष 24		वित्तीय वर्ष 25	
वास्तविक (आधाररेखा)	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
36.88	35	39.07	31	25.05	25	22.89	20	16.35

साथ ही, राज्य और केंद्र सरकार के मिले-जुले प्रयासों और किए गए सुधारों के कारण, बिहार राज्य में एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 में 35.33% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.51% हो गए हैं।

(ङ) : जमुई हेरिटेज/बाजार क्षेत्रों में भूमिगत केबल बिछाने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1106
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति

†1106. डॉ. लता वानखेड़े:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण जिलों में चरम सिंचाई मौसम के दौरान ग्रामीण फीडरों को प्रदान की जाने वाली औसत विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे कितने हैं;

(ख) किसानों को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य में किए गए कृषि फीडरों के पृथक्करण का ब्यौरा क्या है;

(ग) सागर के दूरदराज क्षेत्रों में स्थित पूर्व में अविद्युतीकृत टोलों और हमलेट्स के विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जर्जर खंभों और तारों को बदलने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत गांवों में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट्स उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : मध्य प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान, विद्युत आपूर्ति के औसत दैनिक घंटे 22 घंटे और 31 मिनट सूचित किए गए हैं।

(ख) : मध्य प्रदेश राज्य में, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राज्य की अपनी स्कीमों और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत कुल 8,167 कृषि फीडरों को अलग किया गया है। आरडीएसएस के तहत स्वीकृत शेष 1,006 फीडरों के लिए कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ग) : विद्युत के समवर्ती विषय होने के कारण उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के दायरे में आता है। भारत सरकार (जीओआई) ने सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए डीडीयूजीजेवाई, एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की सहायता की है।

जैसा कि मध्य प्रदेश सहित राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों का 28 अप्रैल 2018 तक विद्युतीकरण किया गया था। डीडीयूजीजेवाई के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में कुल 422 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। डीडीयूजीजेवाई के तहत और उसके बाद सौभाग्य के तहत सभी राज्यों द्वारा दी गई सूचना अनुसार सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण 31 मार्च 2019 तक पूरा हो गया था। सौभाग्य अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में कुल 19,84,264 घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों स्कीमों में दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण के लिए जारी संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत राज्यों की भी सहायता कर रही है। अब तक, मध्य प्रदेश राज्य में 90,265 घरों के विद्युतीकरण के लिए 459 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें सागर जिले में 28 माजरा/टोलों का विद्युतीकरण शामिल है।

(घ) : विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, संबंधित वितरण लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य है कि वह अपने आपूर्ति क्षेत्र में एक दक्ष, सुरक्षित और किफायती वितरण प्रणाली विकसित और अनुरक्षण करें, जिसमें अपने प्रचालन क्षेत्र में गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए एचटी/एलटी लाइनों के खंभों/तारों की स्थिति की जांच करना शामिल है।

हालांकि, आरडीएसएस के तहत, मध्य प्रदेश राज्य के लिए 9,738 करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना कार्यों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्यों में उप-स्टेशनों/वितरण ट्रांसफार्मरों का उन्नयन/नए उप-स्टेशनों का निर्माण, कृषि फीडर पृथक्करण, कंडक्टरों का उन्नयन आदि शामिल हैं।

(ङ) : राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1115
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

राज्य विद्युत बोर्डों को हुई हानि

†1115. श्री राजीव राय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत पारेषण हानियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) को हुई हानियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों को आत्मनिर्भर बनाए जाने को सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या निर्देश जारी किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) में होने वाली हानियाँ लगभग 2.99% से 5.10% के दायरे में हैं, जिनका वार्षिक औसत लगभग 3.75% है। राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) की पारेषण हानियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) एवं (ग) : 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग एवं रैंकिंग ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान वितरण यूटिलिटी/विद्युत विभागों की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की। इस स्कीम का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर एटीएंडसी हानियों को 12-15% तक कम करना तथा प्रति यूनिट आपूर्ति की गई विद्युत पर खर्च होने वाली कम बकाया राशि को शून्य तक लाना है।

इस स्कीम के अंतर्गत पात्र वितरण यूटिलिटी को वितरण अवसंरचना के उन्नयन, प्रणाली आधुनिकीकरण तथा संचार प्रणाली मीटरिंग एवं स्मार्ट प्री-पेड मीटरिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के अंतर्गत निधियां जारी करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न मापदंडों पर प्रदर्शन पर निर्भर है।

इसके अतिरिक्त, आरडीएसएस के अलावा भी भारत सरकार ने वितरण यूटिलिटी की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियमों के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित हुआ है कि वितरण कंपनियाँ उत्पादन कंपनियों को समय पर भुगतान करें।
- लागत प्रतिबिंबित टैरिफ सुनिश्चित करने तथा विद्युत खरीद एवं ईंधन लागत में होने वाले परिवर्तनों के मासिक आधार पर स्वचालित पास-थ्रू के लिए नियम लागू किए गए हैं।
- राजस्व अंतर को कम करने के लिए टैरिफ एवं टू-अप आदेशों का समय पर निर्गमन सुनिश्चित किया गया है।
- राज्य सरकारों द्वारा घोषित सब्सिडी के समय पर भुगतान हेतु नियम बनाए गए हैं।
- ऊर्जा लेखांकन से संबंधित नियमों एवं प्रचालन प्रक्रियाओं से पारदर्शिता, बिलिंग तथा संग्रह दक्षता में सुधार हुआ है।
- राज्य स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को दिए जाने वाले ऋणों को वितरण यूटिलिटी के प्रदर्शन से जोड़ा गया है।
- प्रमुख विद्युत क्षेत्र सुधारों की शर्त पर राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गई है।

केंद्र एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सामूहिक प्रयासों तथा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत किए गए सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप, वितरण यूटिलिटी की एटीएंडसी हानियाँ वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गई हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पारेषण हानि का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पारेषण हानि % में
1	आंध्र प्रदेश	2.46
2	गुजरात	3.29
3	हरियाणा	1.99
4	महाराष्ट्र	3.28
5	तेलंगाना	2.11
6	मध्य प्रदेश	2.69
7	अरुणाचल प्रदेश	3.00
8	असम	3.21
9	बिहार	2.56
10	छत्तीसगढ़	3.00
11	दिल्ली	0.95
12	गोवा	4.50
13	झारखंड	2.23
14	कर्नाटक	2.87
15	केरल	3.10
16	मेघालय	3.18
17	ओडिशा	3.00
18	पुदुचेरी	1.50
19	राजस्थान	4.20
20	उत्तर प्रदेश	3.18
21	पश्चिम बंगाल	2.70
22	हिमाचल प्रदेश	2.77
23	पंजाब	2.21
24	तमिलनाडु	0.77
25	उत्तराखंड	1.03
26	मणिपुर	7.15
27	मिजोरम	3.08
28	नागालैंड	8.00
29	सिक्किम	14.50
30	चंडीगढ़	8.00
31	जम्मू एवं कश्मीर	3.00
32	त्रिपुरा	3.00
33	दमन एवं दीव - दादरा एवं नगर हवेली	3.50

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) द्वारा झेली गई समय तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य/एसईबी	एटीएंडसी हानि (% में)		
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
क	राज्य क्षेत्र	15.47	16.33	15.40
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	19.77	20.76	24.14
	अंडमान एवं निकोबार पीडी	19.77	20.76	24.14
2	आंध्र प्रदेश	7.74	12.05	7.87
	एपीसीपीडीसीएल	10.33	11.37	7.95
	एपीईपीडीसीएल	5.94	10.41	7.70
	एपीएसपीडीसीएल	8.08	13.95	7.99
3	अरुणाचल प्रदेश	51.70	42.86	46.20
	अरुणाचल पीडी	51.70	42.86	46.20
4	असम	16.22	14.03	15.44
	एपीडीसीएल	16.22	14.03	15.44
5	बिहार	23.45	20.32	15.51
	एनबीपीडीसीएल	21.42	17.06	14.49
	एसबीपीडीसीएल	25.05	22.89	16.35
6	छत्तीसगढ़	16.14	15.88	14.25
	सीएसपीडीसीएल	16.14	15.88	14.25
7	दिल्ली	10.67	12.82	8.36
	एनडीएमसी	10.67	12.82	8.36
8	गोवा	17.09	9.09	10.39
	गोवा पीडी	17.09	9.09	10.39
9	गुजरात	10.72	8.97	8.25
	डीजीवीसीएल	1.62	1.87	4.26
	एमजीवीसीएल	9.67	6.88	8.37
	पीजीवीसीएल	18.41	15.11	12.73
	यूजीवीसीएल	9.35	8.08	6.16
10	हरियाणा	12.01	11.30	11.76
	डीएचबीवीएन	13.17	12.73	12.20
	यूएचबीवीएन	10.32	9.15	11.12
11	हिमाचल प्रदेश	10.57	10.88	19.44
	एचपीएसईबीएल	10.57	10.88	19.44
12	झारखंड	27.46	30.51	28.19

क्रम सं.	राज्य/एसईबी	एटीएंडसी हानि (% में)		
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
	जेबीवीएनएल	27.46	30.51	28.19
13	कर्नाटक	14.19	11.89	11.92
	बेसकॉम	12.78	10.23	12.50
	चेसकॉम	10.22	9.38	8.76
	गेसकॉम	19.25	9.56	13.48
	हेसकॉम	18.12	17.92	12.14
	मेसकॉम	9.20	12.48	10.02
14	केरल	5.65	7.44	6.61
	केएसईबीएल	5.64	7.44	6.61
	टीसीईडी	7.08	7.19	6.94
15	लद्दाख	38.61	42.46	26.82
	लद्दाख पीडी	38.61	42.46	26.82
16	मध्य प्रदेश	20.45	22.89	22.76
	एमपीएमकेवीवीसीएल	22.89	29.09	29.60
	एमपीपीएकेवीवीसीएल	12.60	12.33	12.78
	एमपीपीओकेवीवीसीएल	27.09	28.20	26.66
17	महाराष्ट्र	16.96	23.86	17.69
	बीईएसटी	4.18	6.68	5.07
	एमएसईडीसीएल	17.37	24.39	18.09
18	मणिपुर	13.82	13.41	12.90
	एमएसपीडीसीएल	13.82	13.41	12.90
19	मेघालय	17.75	17.51	17.52
	एमईपीडीसीएल	17.75	17.51	17.52
20	मिजोरम	26.53	28.01	32.31
	मिजोरम पीडी	26.53	28.01	32.31
21	नागालैंड	47.28	47.11	48.86
	नागालैंड पीडी	47.28	47.11	48.86
22	पुदुचेरी	21.83	17.75	14.72
	पुदुचेरी पीडी	21.83	17.75	14.72
23	पंजाब	11.23	10.96	19.21
	पीएसपीसीएल	11.23	10.96	19.21
24	राजस्थान	15.44	22.13	15.18
	एवीवीएनएल	10.00	15.43	9.22
	जेडीवीवीएनएल	20.99	28.84	21.42
	जेवीवीएनएल	14.59	20.89	13.75
25	सिक्किम	26.41	27.84	21.84
	सिक्किम पीडी	26.41	27.84	21.84
26	तमिलनाडु	10.92	11.39	10.96
	टेनजेडको	10.92	11.39	10.96

क्रम सं.	राज्य/एसईबी	एटीएंडसी हानि (% में)		
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
27	तेलंगाना	18.65	19.01	19.84
	टीजीएनपीडीसीएल	22.19	20.00	23.22
	टीजीएसपीडीसीएल	17.20	18.62	18.51
28	त्रिपुरा	24.91	69.01	29.61
	टीएसईसीएल	24.91	69.01	29.61
29	उत्तर प्रदेश	22.18	16.39	19.54
	डीवीवीएनएल	24.04	20.00	19.70
	केस्को	11.33	9.60	14.29
	एमवीवीएनएल	23.46	15.53	17.70
	पीवीवीएनएल	17.06	14.25	11.91
	पीयूवीवीएनएल	27.27	17.33	30.70
30	उत्तराखंड	14.41	14.69	15.08
	यूपीसीएल	14.41	14.69	15.08
31	पश्चिम बंगाल	17.43	17.13	17.17
	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	17.43	17.13	17.17
ख	निजी क्षेत्र	11.87	11.00	10.05
1	दिल्ली	6.86	6.74	6.48
	बीआरपीएल	6.92	6.52	6.70
	बीवाईपीएल	7.29	7.71	7.15
	टीपीडीडीएल	6.48	6.35	5.70
2	गुजरात	3.93	3.92	3.63
	टोरेट पावर अहमदाबाद	4.04	4.16	3.80
	टोरेट पावर सूरत	3.69	3.41	3.24
3	महाराष्ट्र	6.48	5.39	4.99
	एईएमएल	6.48	5.39	4.99
4	ओडिशा	21.67	19.59	17.81
	टीपीएनओडीएल	17.25	14.61	12.51
	टीपीएसओडीएल	30.59	26.75	23.36
	टीपीडब्ल्यूओडीएल	20.26	17.90	17.64
	टीपीसीओडीएल	22.64	21.86	19.11
5	उत्तर प्रदेश	8.02	7.75	8.48
	एनपीसीएल	8.02	7.75	8.48
6	पश्चिम बंगाल	6.47	4.64	4.77
	आईपीसीएल	6.47	4.64	4.77
	कुल योग	15.22	15.97	15.04

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1119
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

बिजली की बढ़ती मांग

†1119. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में देशभर में बिजली की खपत में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान विद्युत उत्पादन विभिन्न राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने हेतु, नए तथा नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन सहित, सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने देश में विशेषकर महाराष्ट्र में नए विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख): देश में पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान विद्युत खपत में लगभग 12.4% की निरंतर वृद्धि हुई है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में देश की अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) के लिए महाराष्ट्र सहित राज्यों की वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है। इन विवरणों से यह संकेत मिलता है कि 'आपूर्ति की गई ऊर्जा' 'ऊर्जा आवश्यकता' के अनुरूप रही है, जिसमें केवल मामूली अंतर है जो आम तौर पर राज्य के पारेषण/ वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है। अतः विद्युत की कमी का अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) : देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. उत्पादन एवं भंडारण योजना:

- (i) राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 874 गीगावाट होने की संभावना है। उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम मांग से अधिक सुनिश्चित करने के लिए, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपने “संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ (आरएपी)” तैयार की हैं, जो गतिशील 10-वर्षीय रोलिंग योजनाएँ हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत खरीद योजना भी शामिल है।
- (ii) सभी राज्यों को उनकी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी प्रकार के उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमताओं के सृजन/अनुबंध की प्रक्रिया आरंभ करने की सलाह दी गई है।
- (iii) विद्युत उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की है:

क. वर्ष 2034-35 तक अनुमानित तापविद्युतक्षमता की आवश्यकता (कोयला एवं लिग्नाइट) लगभग 3,07,000 मेगावाट आँकी गई है, जबकि दिनांक 31.03.2023 तक संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने न्यूनतम 97,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला एवं लिग्नाइट आधारित तापविद्युत क्षमता संस्थापित करने की परिकल्पना की है।

इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु कई पहलें पहले ही की जा चुकी हैं। अप्रैल 2023 से दिनांक 20.01.2026 तक लगभग 17,360 मेगावाट तापविद्युत क्षमता की कमीशनिंग की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में 39,545 मेगावाट तापविद्युत क्षमता (जिसमें 4,845 मेगावाट संकटग्रस्त तापविद्युत परियोजनाएँ शामिल हैं) निर्माणाधीन है। 22,920 मेगावाट की क्षमता के लिए कान्ट्रैक्ट अनुबंध प्रदान किए जा चुके हैं और इसका निर्माण शेष है। इसके अलावा, देश में 24,020 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो योजना के विभिन्न चरणों में है।

ख. 12,973.5 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 4,274 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएँ योजना के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

ग. 6,600 मेगावाट की न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट की न्यूक्लियर क्षमता योजना एवं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

घ. नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अंतर्गत 1,57,800 मेगावाट (जिसमें 67,280 मेगावाट सौर ऊर्जा, 6,500 मेगावाट पवन ऊर्जा तथा 60,040 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा शामिल है) निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, 48,720 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता (जिसमें 35,440 मेगावाट सौर ऊर्जा तथा 11,480 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा शामिल है) योजना के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

ड. ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 11,620 मेगावाट/69,720 मेगावाट घंटा की पम्पड स्टोरेज परियोजनाएँ (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 6,580 मेगावाट/39,480 मेगावाट घंटा क्षमता की पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिन्हें अभी निर्माण हेतु लिया जाना शेष है। वर्तमान में 9,653.94 मेगावाट/26,729.32 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता निर्माणाधीन है तथा 19,797.65 मेगावाट/61,013.40 मेगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता निविदा चरण में है।

2. पारेषण योजना: अंतर-राज्यीय एवं अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है तथा इसके कार्यान्वयन को उत्पादन क्षमता वृद्धि के अनुरूप समय-सीमा में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 की दस-वर्षीय अवधि के दौरान (220 केवी एवं उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) लगभग 1,91,474 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों तथा 1,274 जीवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता जोड़े जाने की योजना है।

3. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का संवर्धन:

- (i) दिनांक 30 जून, 2025 तक (इसके बाद जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी होगी) शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली एक ही स्थान पर स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अवाई होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर, 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क को 100% माफ किया गया है।
- (ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- (iii) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए) नियमित रूप से आरई विद्युत की खरीद के लिए बोलियां आमंत्रित कर रही हैं।
- (iv) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (v) नवीकरणीय ऊर्जा के तीव्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2032 तक की पारेषण योजना तैयार की गई है।

- (vi) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई उप-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।
- (viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत (जनजातीय एवं पीवीटीजी आबादी/गांवों के लिए) नई सौर ऊर्जा योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।
- (ix) नवीकरणीय ऊर्जा की खपत को प्रोत्साहित करने हेतु नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की ट्रेजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ का अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान होगा।
- (x) “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति” जारी की गई है।
- (xi) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री की सुगमता हेतु ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- (xii) सौर पीवी मॉड्यूलों की आपूर्ति शृंखला के स्थानीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम प्रारंभ की गई है।

(घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, ग्रिड कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करने वाली कोई भी उत्पादन कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत किसी लाइसेंस की आवश्यकता के बिना विद्युत उत्पादन स्टेशन की स्थापना कर सकती है, संचालन कर सकती है एवं अनुरक्षण कर सकती है।

देश में निर्माणाधीन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा, जिसमें महाराष्ट्र में निर्माणाधीन जलविद्युत पम्पड स्टोरेज परियोजनाएँ भी शामिल हैं, **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में देश में अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता		ऊर्जा आपूर्ति		अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	वृद्धि %	(एमयू)	वृद्धि %	(एमयू)	(%)
2022-23	1,513,497	-	1,505,914	-	7,583	0.5
2023-24	1,626,132	7.4	1,622,020	7.7	4,112	0.3
2024-25	1,693,959	4.2	1,692,369	4.3	1,590	0.1
2024-25 (दिसंबर, 2024 तक)	1,280,037	-	1,278,565	-	1,472	0.1
2025-26 (दिसंबर, 2025 तक)	12,85,913	0.5	12,85,553	0.5	360	0.0

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) के लिए वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्य-वार विवरण

(आंकड़े एमयू में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023				अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,788	1,788	0	0.0	1,789	1,789	0	0.0
दिल्ली	35,143	35,133	10	0.0	35,501	35,496	5	0.0
हरियाणा	61,451	60,945	506	0.8	63,983	63,636	348	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,649	12,542	107	0.8	12,805	12,767	38	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	19,639	19,322	317	1.6	20,040	19,763	277	1.4
पंजाब	69,522	69,220	302	0.4	69,533	69,528	5	0.0
राजस्थान	1,01,801	1,00,057	1,745	1.7	1,07,422	1,06,806	616	0.6
उत्तर प्रदेश	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8	1,48,791	1,48,287	504	0.3
उत्तराखंड	15,647	15,386	261	1.7	15,644	15,532	112	0.7
उत्तरी क्षेत्र	4,63,088	4,58,640	4,449	1.0	4,76,852	4,74,946	1,906	0.4
छत्तीसगढ़	37,446	37,374	72	0.2	39,930	39,872	58	0.1
गुजरात	1,39,043	1,38,999	44	0.0	1,45,768	1,45,740	28	0.0
मध्य प्रदेश	92,683	92,325	358	0.4	99,301	99,150	151	0.2
महाराष्ट्र	1,87,309	1,87,197	111	0.1	2,07,108	2,06,931	176	0.1
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	10,018	10,018	0	0.0	10,164	10,164	0	0.0
गोवा	4,669	4,669	0	0.0	5,111	5,111	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	4,77,393	4,76,808	586	0.1	5,17,714	5,17,301	413	0.1
आंध्र प्रदेश	72,302	71,893	410	0.6	80,209	80,151	57	0.1
तेलंगाना	77,832	77,799	34	0.0	84,623	84,613	9	0.0
कर्नाटक	75,688	75,663	26	0.0	94,088	93,934	154	0.2
केरल	27,747	27,726	21	0.1	30,943	30,938	5	0.0
तमिलनाडु	1,14,798	1,14,722	77	0.1	1,26,163	1,26,151	12	0.0
पुदुचेरी	3,051	3,050	1	0.0	3,456	3,455	1	0.0
लक्षद्वीप	64	64	0	0.0	64	64	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	3,71,467	3,70,900	567	0.2	4,19,531	4,19,293	238	0.1
बिहार	39,545	38,762	783	2.0	41,514	40,918	596	1.4
डीवीसी	26,339	26,330	9	0.0	26,560	26,552	8	0.0
झारखंड	13,278	12,288	990	7.5	14,408	13,858	550	3.8
ओडिशा	42,631	42,584	47	0.1	41,358	41,333	25	0.1
पश्चिम बंगाल	60,348	60,274	74	0.1	67,576	67,490	86	0.1
सिक्किम	587	587	0	0.0	544	543	0	0.0
अंडमान-निकोबार	348	348	0	0.12914	386	374	12	3.2
पूर्वी क्षेत्र	1,82,791	1,80,888	1,903	1.0	1,92,013	1,90,747	1,266	0.7
अरुणाचल प्रदेश	915	892	24	2.6	1,014	1,014	0	0.0
असम	11,465	11,465	0	0.0	12,445	12,341	104	0.8
मणिपुर	1,014	1,014	0	0.0	1,023	1,008	15	1.5
मेघालय	2,237	2,237	0	0.0	2,236	2,066	170	7.6
मिजोरम	645	645	0	0.0	684	684	0	0.0
नागालैंड	926	873	54	5.8	921	921	0	0.0
त्रिपुरा	1,547	1,547	0	0.0	1,691	1,691	0	0.0
पूर्वांतर क्षेत्र	18,758	18,680	78	0.4	20,022	19,733	289	1.4
अखिल भारत	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) के लिए वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्य-वार विवरण

(आंकड़े एमयू में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2024 - मार्च, 2025				अप्रैल, 2025 - दिसंबर, 2025			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,952	1,952	0	0.0	1,509	1,382	127	8.4
दिल्ली	38,255	38,243	12	0.0	31,006	30,999	7	0.0
हरियाणा	70,149	70,120	30	0.0	55,932	55,867	65	0.1
हिमाचल प्रदेश	13,566	13,526	40	0.3	10,329	10,294	36	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	20,374	20,283	90	0.4	14,874	14,862	12	0.1
पंजाब	77,423	77,423	0	0.0	60,827	60,786	41	0.1
राजस्थान	1,13,833	1,13,529	304	0.3	82,763	82,763	0	0.0
उत्तर प्रदेश	1,65,090	1,64,786	304	0.2	1,29,329	1,29,304	26	0.0
उत्तराखंड	16,770	16,727	43	0.3	12,630	12,582	49	0.4
उत्तरी क्षेत्र	5,18,869	5,17,917	952	0.2	4,00,413	4,00,176	236	0.1
छत्तीसगढ़	43,208	43,180	28	0.1	31,502	31,494	8	0.0
गुजरात	1,51,878	1,51,875	3	0.0	1,17,364	1,17,364	0	0.0
मध्य प्रदेश	1,04,445	1,04,312	133	0.1	75,081	75,073	8	0.0
महाराष्ट्र	2,01,816	2,01,757	59	0.0	1,48,848	1,48,839	9	0.0
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	10,852	10,852	0	0.0	8,439	8,439	0	0.0
गोवा	5,411	5,411	0	0.0	4,086	4,086	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	5,28,924	5,28,701	223	0.0	3,95,551	3,95,526	25	0.0
आंध्र प्रदेश	79,028	79,025	3	0.0	59,543	59,537	6	0.0
तेलंगाना	88,262	88,258	4	0.0	61,062	61,055	7	0.0
कर्नाटक	92,450	92,446	4	0.0	67,547	67,538	9	0.0
केरल	31,624	31,616	8	0.0	22,949	22,946	2	0.0
तमिलनाडु	1,30,413	1,30,408	5	0.0	99,901	99,892	10	0.0
पुदुचेरी	3,549	3,549	0	0.0	2,691	2,688	3	0.1
लक्षद्वीप	68	68	0	0.0	54	54	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	4,25,373	4,25,349	24	0.0	3,13,730	3,13,692	38	0.0
बिहार	44,393	44,217	176	0.4	37,294	34,102	3,191	8.6
डीवीसी	25,891	25,888	3	0.0	18,595	18,592	3	0.0
झारखंड	15,203	15,126	77	0.5	11,735	11,731	5	0.0
ओडिशा	42,882	42,858	24	0.1	34,064	34,059	5	0.0
पश्चिम बंगाल	71,180	71,085	95	0.1	56,878	56,846	32	0.1
सिक्किम	574	574	0	0.0	382	382	0	0.0
अंडमान-निकोबार	425	413	12	2.9	318	301	17	5.5
पूर्वी क्षेत्र	2,00,180	1,99,806	374	0.2	1,58,993	1,58,935	58	0.0
अरुणाचल प्रदेश	1,050	1,050	0	0.0	909	909	0	0.0
असम	12,843	12,837	6	0.0	10,973	10,973	1	0.0
मणिपुर	1,079	1,068	10	0.9	863	861	3	0.3
मेघालय	2,046	2,046	0	0.0	1,542	1,542	0	0.0
मिजोरम	709	709	0	0.0	559	559	0	0.0
नागालैंड	938	938	0	0.0	772	772	0	0.0
त्रिपुरा	1,939	1,939	0	0.0	1,523	1,523	0	0.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	20,613	20,596	16	0.1	17,228	17,224	3	0.0
अखिल भारत	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	12,85,913	12,85,553	360	0.0

(i) निर्माणाधीन ताप विद्युत संयंत्र का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
1	बक्सर टीपीपी (एसजेवीएन)	बिहार	केंद्रीय	यू-2	660
2	नबीनगर एसटीपीपी, चरण-II (एनटीपीसी)		केंद्रीय	यू-4	800
3			केंद्रीय	यू-5	800
4			केंद्रीय	यू-6	800
5	कोरबा टीपीपी, फेज-2 (लैंको अमरकंटक टीपीपी), मैसर्स	छत्तीसगढ़	निजी	यू-3	660
6	अडानी पावर		निजी	यू-4	660
7	सिंधितराय टीपीपी, (मैसर्स वेदांता)		निजी	यू-2	600
8	लारा एसटीपीपी चरण-II (एनटीपीसी)		केंद्रीय	यू-3	800
9			केंद्रीय	यू-4	800
10	रायपुर एक्सटेंशन टीपीपी, फेज-II /अडानी पावर		निजी	यू-3	800
11			निजी	यू-4	800
12	रायगढ़ यूएससीटीपीपी, चरण-II/अडानी पावर		निजी	यू-2	800
13			निजी	यू-3	800
14	कोरबा (पश्चिम) एससीटीपीपी (सीएसपीजीसीएल)		राज्य	यू-1	660
15			राज्य	यू-2	660
16	सीपत एसटीपीपी, चरण-III (एनटीपीसी)		केंद्रीय	यू-1	800
17	अकालतारा टीपीपी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी		निजी	यू-4	600
18			निजी	यू-5	600
19			निजी	यू-6	600
20	बिंजकोट टीपीपी, मैसर्स सारदा एनर्जी मिनरल	निजी	यू-3	300	
21		निजी	यू-4	300	
22	उकई टीपीपी/जीएसईसीएल	गुजरात	राज्य	यू-7	800
23	डीसीआर टीपीपी एक्सटेंशन / एचपीजीसीएल	हरियाणा	राज्य	यू-1	800
24	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	झारखंड	केंद्रीय	यू-2	800
25			केंद्रीय	यू-3	800
26	कोडरमा टीपीएस, चरण-II/डीवीसी		केंद्रीय	यू-1	800
27			केंद्रीय	यू-2	800
28	गाडरवारा एसटीपीपी, फेज-II (एनटीपीसी)	मध्य प्रदेश	केंद्रीय	यू-3	800
29			केंद्रीय	यू-4	800
30	महान एसटीपीपी, चरण-II (महान एनर्जीन)		निजी	यू-3	800
31			निजी	यू-4	800
32	महान एसटीपीपी, चरण-III (महान एनर्जीन)		निजी	यू-5	800
33			निजी	यू-6	800
34	कोराडी टीपीएस, चरण-V (एमएसपीजीसीएल)	महाराष्ट्र	राज्य	यू-11	660
35			राज्य	यू-12	660
36	मल्लिब्राह्मणी टीपीपी, मैसर्स जिंदल पावर	ओडिशा	निजी	यू-2	525
37	तालचेर टीपीपी चरण-III (एनटीपीसी)		केंद्रीय	यू-1	660
38			केंद्रीय	यू-2	660
39	एनएलसी तालाबीरा टीपीपी (एनएलसी)		केंद्रीय	यू-1	800

क्रम सं.	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
40			केंद्रीय	यू-2	800
41			केंद्रीय	यू-3	800
42	उत्तर चेन्नई टीपीपी, चरण-III (टीएनपीजीसीएल)	तमिलनाडु	राज्य	यू-6	660
43	उदंगुडी एसटीपीपी चरण-I (टीएनपीजीसीएल)		राज्य	यू-1	660
44			राज्य	यू-2	660
45	एन्नोर एससीटीपीपी (टीएनपीजीसीएल)		राज्य	यू-1	660
46			राज्य	यू-2	660
47	यादाद्री टीपीएस (टीजीजेनको)	तेलंगाना	राज्य	यू-4	800
48			राज्य	यू-3	800
49			राज्य	यू-5	800
50	सिंगरेनी टीपीपी, फेज-II/एससीसीएल		राज्य	यू-3	800
51	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	यू-3	660
52	सिंगरौली एसटीपीपी, चरण-III (एनटीपीसी)		केंद्रीय	यू-8	800
53			केंद्रीय	यू-9	800
54	रघुनाथपुर टीपीएस, फेज-II/डीवीसी	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	यू-3	660
55			केंद्रीय	यू-4	660
56	सागरदिघी टीपीपी चरण-III (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)		राज्य	यू-5	660
कुल					39,545

(ii) निर्माणाधीन जलविद्युत संयंत्र का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम (कार्यान्वयन एजेंसी)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (संख्या X मेगावाट)	कार्यान्वयनाधीन क्षमता (मेगावाट)
	एनएचपीसी			
1	सुबनसिरी लोअर (एनएचपीसी)	अरुणाचल प्रदेश/असम	8x250	1,750.00
2	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (एनएचपीसी)	अरुणाचल प्रदेश	12x240	2,880.00
3	तीस्ता चरण-VI एनएचपीसी	सिक्किम	4x125	500.00
4	रंगित-IV (एनएचपीसी)	सिक्किम	3x40	120.00
5	रतले (आरएचईपीपीएल / एनएचपीसी)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर	4x205 + 1x30	850.00
	सीवीपीपीएल			
6	पाकल दुल (सीवीपीपीएल)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर	4x250	1,000.00
7	किरू (सीवीपीपीएल)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर	4x156	624.00
8	क्वार (सीवीपीपीपीएल)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर	4x135	540.00
	एसजेवीएन			
9	लुहरी-I (एसजेवीएन)	हिमाचल प्रदेश	2x80+2x25	210.00
10	धौलासिद्ध (एसजेवीएन)	हिमाचल प्रदेश	2x33	66.00
11	सुन्नी बांध (एसजेवीएन)	हिमाचल प्रदेश	4x73+1x73+1x17	382.00
	टीएचडीसी			
12	विष्णुगाड पीपलकोटी (टीएचडीसी)	उत्तराखंड	4x111	444.00
	एनटीपीसी			
13	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	उत्तराखंड	4x130	520.00
14	रम्मम-III (एनटीपीसी)	पश्चिम बंगाल	3x40	120.00
	नीपको			
15	हियो	अरुणाचल प्रदेश	3x80	240.00
16	तातो-I	अरुणाचल प्रदेश	3x62	186.00
	एपीजेनको			
17	पोलावरम (एपीजेनको/सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश	12x80	960.00
18	लोअर सिलेरू एक्सटेंशन (एपीजेनको)	आंध्र प्रदेश	2x115	230.00
	एचपीपीसीएल			

19	शॉगटॉग करचम (एचपीपीसीएल)	हिमाचल प्रदेश	3x150	450.00
20	चांजू-III (एचपीपीसीएल)	हिमाचल प्रदेश	3x16	48.00
	केएसईबी			
21	मनकुलम (केएसईबी)	केरल	2x20	40.00
	एपीजीसीएल			
22	लोअर कोपली (एपीजीसीएल)	असम	2x55+2x2.5+1x5	120.00
	जेकेपीडीसी			
23	परनई (जेकेएसपीडीसी)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर	3x12.5	37.50
	पीएसपीसीएल			
24	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/ सिंचाई विभाग, पंजाब)	पंजाब	3x33+3x33+1x8	206.00
	यूजेवीएनएल			
25	लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना (यूजेवीएनएल)	उत्तराखंड	3x100	300.00
	स्टेटक्राफ्ट			
26	टिडॉग-1 (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	हिमाचल प्रदेश	3x50	150.00
	कुल :			12,973.00

(iii) निर्माणाधीन और नियोजित न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्रों का विवरण

क्रम सं.	परियोजना स्थल	परियोजना-यूनिट	क्षमता (मेगावाट)
1	रावतभाटा, राजस्थान	आरएपीपी-8	1 x 700
2	कुडनकुलम, तमिलनाडु	केकेएनपीपी-3	1 x 1000
3	कुडनकुलम, तमिलनाडु	केकेएनपीपी-4	1 x 1000
4	कलपक्कम तमिलनाडु	पीएफबीआर	1x 500
5	कुडनकुलम, तमिलनाडु	केकेएनपीपी-5 एवं 6	2 x 1000
6	गोरखपुर, हरियाणा	जीएचएवीपी-1	1 x 700
7	गोरखपुर, हरियाणा	जीएचएवीपी-2	1 x 700
	कुल		6,600

(iv) महाराष्ट्र राज्य में जलविद्युत पंप स्टोरेज परियोजनाएं

क्रम सं.	स्कीम का नाम	क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	शिरावता पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट	निजी	महाराष्ट्र	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	1,800
2	पाने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट	निजी	महाराष्ट्र	जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी 7 एल	1,500
3	तराली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट	निजी	महाराष्ट्र	अडानी रिन्यूएबल एनर्जी वन लिमिटेड	1,500
4	सैदोंगर-1 कर्जत पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट	निजी	महाराष्ट्र	टोरेट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	3,000
	कुल				7,800

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1130
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

कुल संस्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों का हिस्सा

†1130. श्री बिप्लब कुमार देव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत द्वारा 500 गीगावाट संस्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल संस्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की वर्तमान हिस्सेदारी कितनी है और सीओपी 26 प्रतिबद्धता से पहले 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी;

(ग) सौर और पवन ऊर्जा क्षमता के प्राप्त किए गए लक्ष्यों सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 2025 के दौरान कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक निवल शून्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की रूपरेखा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : सितंबर, 2025 में 500 गीगावाट की उपलब्धि के समय की संस्थापित उत्पादन क्षमता तथा 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार संस्थापित उत्पादन क्षमता का विवरण, जिसमें जीवाश्म एवं गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की प्रतिशत हिस्सेदारी दर्शाई गई है, **अनुबंध-1** पर दिया गया है। दिनांक 31.12.2025 तक कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 5,13,730 मेगावाट है, जिसमें 2,46,942 मेगावाट (48.07%) जीवाश्म ईंधन स्रोतों से और 2,66,788 मेगावाट (51.93%) गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है।

भारत ने जून, 2025 में अपनी संस्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर ऊर्जा पारगमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में निर्धारित लक्ष्य से पाँच वर्ष से भी अधिक समय पूर्व है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के प्रति देश की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

(ग) : वर्ष 2025 के दौरान, कुल 48,436 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है। इसमें 37,945 मेगावाट सौर ऊर्जा और 6,347 मेगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। वर्ष 2025 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि का विवरण अनुबंध-II पर दिया गया है।

(घ) : वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरु की गई पहलों का विवरण और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की रणनीति निम्नानुसार है:

1. भारत सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और गति देने के लिए कई कदम और पहलें की हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) दिनांक 30 जून, 2025 तक (इसके बाद जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी होगी) शुरु होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरु होने वाली एक ही स्थान पर स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अवाई होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक शुरु होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर 2032 तक शुरु होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क को 100% माफ किया गया है।
- (ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- (iii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आईआईए) द्वारा प्रतिवर्ष 50 गीगावाट की दर से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों के निर्गमन हेतु बोली ट्रेजेक्ट्री जारी किया है।
- (iv) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (v) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई उप-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।
- (vi) नवीकरणीय ऊर्जा के तीव्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2032 तक की पारेषण योजना तैयार की गई है।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।
- (viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी

न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत (जनजातीय एवं पीवीटीजी आबादी/गांवों के लिए) नई सौर ऊर्जा योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।

- (ix) भारत सरकार ने सितंबर, 2023 में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीएसईएस) के विकास हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम को स्वीकृति प्रदान की थी। इस स्कीम के अंतर्गत 3,760 करोड़ रु. के बजटीय प्रावधान के साथ 13.22 गीगावाट-घंटा बीईएसएस क्षमता का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बीईएसएस की बढ़ती मांग को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने जून, 2025 में 30 गीगावाट-घंटा बीईएसएस क्षमता के विकास हेतु एक और वीजीएफ स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से 5,400 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- (x) नवीकरणीय ऊर्जा की खपत को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के पश्चात नवीकरणीय खपत दायित्व (आरसीओ) की ट्रेजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। नवीकरणीय खपत दायित्व जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू है, का अनुपालन न करने की स्थिति में दंड का प्रावधान होगा। आरसीओ में विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से निर्धारित मात्रा में ऊर्जा खपत का प्रावधान भी शामिल है।
- (xi) “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति” जारी की गई है।
- (xii) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है।
- (xiii) 12,973.5 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, 4,274 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं और उनके वर्ष 2031-32 तक पूरा होने का लक्ष्य है।
- (xiv) नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण तथा ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में देश में कुल 11,870 मेगावाट क्षमता वाली 10 पंप भंडारण परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

2. इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूक्लियर ऊर्जा में अपार संभावनाएं हैं और यह वर्ष 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारगमन के लिए महत्वपूर्ण है। यह बेस लोड पावर का एक स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल स्रोत है। न्यूक्लियर ऊर्जा से होने वाले लाईफ-साईकिल उत्सर्जन जलविद्युत एवं पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के तुलनीय हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। न्यूक्लियर ऊर्जा के माध्यम से भारत के ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- i. वर्ष 2033 तक कम-से-कम पाँच स्वदेशी रूप से अभिकल्पित स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) विकसित करने तथा उन्नत न्यूक्लियर प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रू. के परिव्यय के साथ एक समर्पित न्यूक्लियर ऊर्जा मिशन प्रारंभ किया गया है।
- ii. स्वदेशी संसाधनों के आधार पर भारत की न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता का अधिकतम उपयोग सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से सुनिश्चित करने हेतु भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास (शांति) अधिनियम, 2025 अधिनियमित किया गया है।
- iii. भारत की प्रमाणित प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) प्रौद्योगिकी पर आधारित 220 मेगावाट क्षमता वाले भारत स्मॉल रिएक्टर (बीएसआर) को औद्योगिक केंद्रों में तैनाती हेतु उन्नत किया जा रहा है, जिससे डी-कार्बोनाइजेशन में सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त, बीएसआरसी द्वारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों का भी विकास किया जा रहा है।
- iv. एक महत्वपूर्ण खोज सहित नई यूरेनियम खोजों के माध्यम से भारत की ईंधन सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है, जिससे जादुगुड़ा खदान की समयावधि 50 वर्षों से अधिक बढ़ जाएगी। क्लोज्ड फ्यूल साईकिल में हुई प्रगति, यथा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्राप्त उपलब्धियां सतत ईंधन आपूर्ति को और मजबूती प्रदान करेंगी।
- v. क्षमता वृद्धि को गति देने के लिए एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने मौजूदा वैधानिक ढांचे के अंतर्गत न्यूक्लियर संयंत्रों के विकास हेतु "अश्विनी" नामक संयुक्त उपक्रम का गठन किया है।

3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत के डी-कार्बोनाइजेशन प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा तथा रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के अवसर भी उत्पन्न करेगा। इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2030 तक कम-से-कम 5 एमएमटी प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लक्ष्य की दिशा में इस उपलब्धि का भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा पारगमन रोडमैप पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जो ऊर्जा सुरक्षा, वहनीयता और सुलभता को अपरिहार्य प्राथमिकताओं के रूप में ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2070 तक नेट-जीरो की दिशा में अर्थव्यवस्था के ऊर्जा पारगमन के साथ-साथ विकास और प्रगति सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

सितंबर, 2025 और दिसंबर, 2025 में देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता का विवरण, जिसमें नवीकरणीय और गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत का हिस्सा प्रतिशतता-वार दर्शाया गया है

देश की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)					
		30.09.2025 तक		31.12.2025 तक	
क्षेत्र		संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कुल में % हिस्सेदारी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कुल में % हिस्सेदारी
जीवाश्म ईंधन	कोयला	2,17,458	43.41%	2,19,610	42.75%
	लिग्नाइट	6,620	1.32%	6,620	1.29%
	गैस	20,132	4.02%	20,122	3.92%
	डीजल	589	0.12%	589	0.11%
	कुल जीवाश्म ईंधन	2,44,800	48.87%	2,46,942	48.07%
गैर-जीवाश्म ईंधन	आरईएस (जलविद्युत सहित)	2,47,310	49.37%	2,58,008	50.22%
	जलविद्युत (पीएसपी सहित)	50,108	10.00%	50,915	9.91%
	पवन, सौर और अन्य आरई	1,97,201	39.37%	2,07,093	40.31%
	पवन	53,124	10.61%	54,511	10.61%
	सौर	1,27,332	25.42%	1,35,810	26.44%
	बीएम* पावर/सह उत्पादन	10,757	2.15%	10,757	2.09%
	अपशिष्ट से ऊर्जा	854	0.17%	857	0.17%
	लघु जलविद्युत	5,134	1.02%	5,159	1.00%
	न्यूक्लियर	8,780	1.75%	8,780	1.71%
	कुल गैर-जीवाश्म ईंधन	2,56,090	51.13%	2,66,788	51.93%
	कुल संस्थापित क्षमता	5,00,889	100.0%	5,13,730	100.0%

*बायोमास

वर्ष 2025 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि का विवरण

सभी आंकड़े मेगावाट में							
अब तक	लघु जलविद्युत	पवन ऊर्जा	जैव विद्युत		सौर ऊर्जा	बड़ी जलविद्युत	कुल आरईएस
			बायो मास विद्युत/ सह-उत्पादन	अपशिष्ट से ऊर्जा			
2025 (जनवरी-दिसंबर)	58.06	6,347.77	29.10	236.68	37,945.22	3,820.00	48,436.83

आरईएस: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1143
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

स्मार्ट मीटर लगाने की वर्तमान स्थिति

1143. श्री आशीष दुबे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुनर्संरचित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों पर स्मार्ट मीटरिंग का क्या प्रभाव है; और

(ग) सरकार द्वारा बिजली खपत के संबंध में आयोजित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की, जिसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरण यूटिलिटी की प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना है, ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत प्रमुख पहलों में से एक उपभोक्ताओं, वितरण ट्रांसफार्मरों तथा फीडरों की स्मार्ट मीटरिंग है।

आरडीएसएस के अंतर्गत 28 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की 45 वितरण यूटिलिटी के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों तथा 2.05 लाख फीडरों की स्मार्ट मीटरिंग शामिल है। जनवरी, 2026 तक इस स्कीम के अंतर्गत 4.19 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों द्वारा अपनी राज्य स्कीमों/अन्य स्कीमों के अंतर्गत भी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इस प्रकार, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत देशभर में कुल 5.59 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

(ख) : प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग से डिस्कॉमों तथा उपभोक्ताओं, दोनों को लाभ होता है। इससे डिस्कॉमों को अग्रिम राजस्व संग्रह में सुविधा मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप संग्रह दक्षता में सुधार, बकाया देयता में कमी, कम कार्यशील पूंजी आवश्यकता के कारण ब्याज की बचत, डिस्कॉमों के नकदी प्रवाह में वृद्धि आदि लाभ प्राप्त होते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों तथा स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन सहित विभिन्न सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गई है।

(ग) : प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के प्रति उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने तथा स्मार्ट मीटरिंग के लाभों के संबंध में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, वितरण यूटिलिटी, आरडीएसएस के अंतर्गत नामित नोडल एजेंसियों-पीएफसी लिमिटेड एवं आरईसी लिमिटेड तथा एएमआई सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के लाभ, हेल्पलाइन नंबर तथा मोबाइल ऐप के उपयोग एवं रियल टाइम में विद्युत खपत, खपत का हिस्टोरिकल विश्लेषण आदि विशेषताओं को दर्शाने वाले पैम्फलेटों का वितरण।
- उपभोक्ताओं की अधिक आवाजाही वाले स्थानों, डिस्कॉम मुख्यालय, मंडल एवं उप-मंडल कार्यालयों में बैनर लगाना।
- लाउडस्पीकर से घोषणा के माध्यम से उपभोक्ता सहभागिता अभियान, स्थानीय भाषा में कहानी-आधारित ऑडियो जिंगल तथा स्मार्ट मीटर संस्थापना के दौरान उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला।
- उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के लाभ समझाने एवं भ्रांतियों को दूर करने हेतु जागरूकता कैनोपी का प्रदर्शन।
- सोशल मीडिया सहभागिता एवं जनसंपर्क गतिविधियाँ।

आरडीएसएस के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य वार अनुसार स्वीकृत और संस्थापित स्मार्ट मीटरिंग कार्य
(दिनांक 31.01.2026 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपभोक्ता मीटर (संख्या)		वितरण ट्रांसफार्मर मीटर (संख्या)		फीडर मीटर (संख्या)		कुल मीटर	
	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित
अंडमान और निकोबार	83,573	-	1,148	-	114	-	84,835	-
आंध्र प्रदेश	56,08,846	22,88,414	2,93,140	85,577	17,358	8,438	59,19,344	23,82,429
अरुणाचल प्रदेश	2,87,446	52,179	10,116	311	688	263	2,98,250	52,753
असम	63,64,798	48,38,045	77,547	57,731	2,782	2,879	64,45,127	48,98,655
बिहार	23,50,000	19,93,875	2,50,726	1,84,644	6,427	5,799	26,07,153	21,84,318
छत्तीसगढ़	59,62,115	33,84,390	2,10,644	70,888	6,720	5,963	61,79,479	34,61,241
दिल्ली	-	-	766	-	2,755	-	3,521	-
गोवा	7,41,160	-	8,369	-	827	650	7,50,356	650
गुजरात	1,64,87,100	36,75,132	3,00,487	1,36,242	-	-	1,67,87,587	38,11,374
हिमाचल प्रदेश	28,00,945	7,67,964	39,012	23,328	1,951	1,650	28,41,908	7,92,942
जम्मू और कश्मीर	14,07,045	5,57,854	88,037	17,147	2,608	1,445	14,97,690	5,76,446
झारखंड	13,41,306	5,90,010	19,512	936	1,226	842	13,62,044	5,91,788
केरल	1,32,89,361	1,69,263	87,615	217	6,025	2,904	1,33,83,001	1,72,384
मध्य प्रदेश	1,29,80,102	31,83,005	4,19,396	1,44,110	29,708	25,636	1,34,29,206	33,52,751
महाराष्ट्र	2,35,64,747	85,34,398	4,10,905	2,69,116	29,214	30,790	2,40,04,866	88,34,304
मणिपुर	1,54,400	33,287	11,451	664	357	236	1,66,208	34,187
मेघालय	4,60,000	-	11,419	-	1,324	-	4,72,743	-
मिजोरम	2,89,383	27,919	2,300	393	398	295	2,92,081	28,607
नागालैंड	3,17,210	30,571	6,276	845	392	105	3,23,878	31,521
पुदुचेरी	4,03,767	11,747	3,105	7	180	-	4,07,052	11,754
पंजाब	87,84,807	-	1,84,044	-	12,563	-	89,81,414	-
राजस्थान	1,42,74,956	23,76,944	4,34,608	31,015	27,128	25,391	1,47,36,692	24,33,350
सिक्किम	1,44,680	80,767	3,229	1,469	633	471	1,48,542	82,707
तमिलनाडु	3,00,00,000	-	4,72,500	-	18,274	9,746	3,04,90,774	9,746
त्रिपुरा	5,47,489	1,61,835	14,908	6,199	473	473	5,62,870	1,68,507
उत्तर प्रदेश	2,69,79,056	66,92,131	15,26,801	2,66,836	20,874	25,466	2,85,26,731	69,84,433
उत्तराखंड	15,87,870	4,40,201	59,212	8,084	2,602	2,496	16,49,684	4,50,781
पश्चिम बंगाल	2,07,17,969	5,51,499	3,05,419	51,150	11,874	10,811	2,10,35,262	6,13,460
आरडीएसएस कुल	19,79,30,131	4,04,41,430	52,52,692	13,56,909	2,05,475	1,62,749	20,33,88,298	4,19,61,088

टिप्पणी: आरडीएसएस के तहत 4.19 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आरडीएसएस सहित अलग-अलग स्कीमों के तहत 5.59 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।
